खण्ड-175, अंक-2
मंगलवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1878
(31 जुलाई, 1956 ई0)

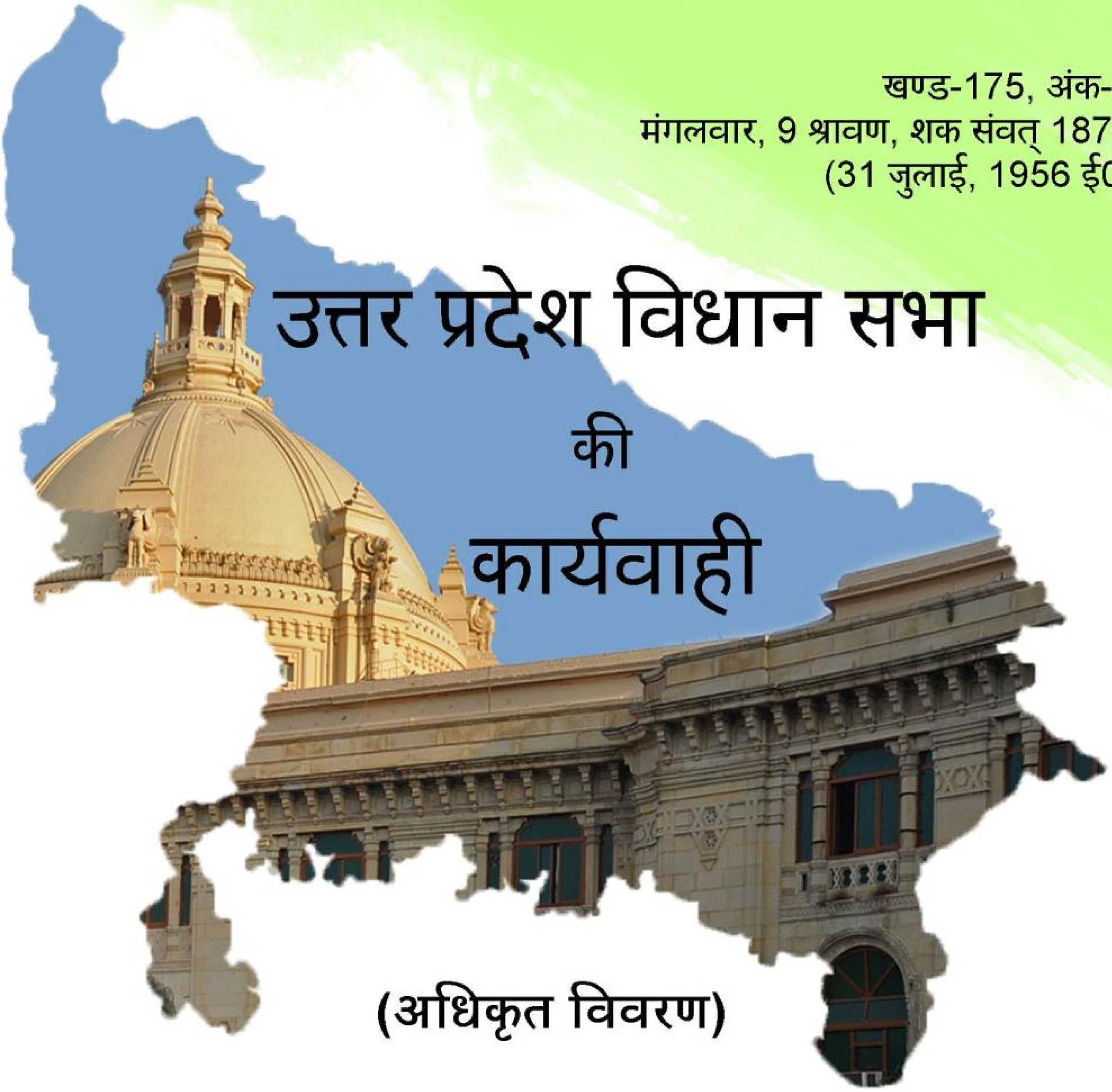

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६६)

अंसमानसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशवपांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धनतिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य

जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम रावत, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन वैद्य, श्री
मदनगोपाल उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबलीमिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द जैन, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरजूराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मंसूरी में एक अंगरेज के हाथों एक पर्वतीय की मृत्यु

**१—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि मंसूरी में एक विदेशी यात्री ने एक पर्वतीय व्यक्ति की हत्या की है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां।

**२—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि वे विदेशी सज्जन किस देश के निवासी हैं और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—विदेशी सज्जन इंगलैंड के नागरिक हैं और उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा ३०४-ए तथा फारेस्ट ऐक्ट की धारा २० (१) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार इस बात पर प्रकाश डालेगी कि यह हत्या किस प्रकार से हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जैसा कि मैंने बताया कहा जाता है कि एक सज्जन इंगलैन्ड के रहने वाले हैं वह जंगल में गये थे और उन्होंने एक आदमी पर धोखे से, जानवर समझकर गोली चलाई और वह मर गया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह मुकदमा अदालत में पहुंच गया होगा।

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तो तफतीश हो रही है, अदालत में भेजा जायगा।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह व्यक्ति जो मरा है उस का क्या नाम है और वह कहां का रहने वाला है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मौलिया उसका नाम है, उसके गाँव और थाने का नाम मेरे पास नहीं है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १—२ श्री सत्यसिंह राणा ने पूछे।

22 SEP 1956

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उसके परिवार को कुछ मुआवजा दिलाया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी तो इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतायेगी कि मारने वाले जो विदेशी सज्जन हैं उनका क्या नाम है और भारत में वह कितने दिन से रह रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उनका नाम अर्नेस्ट हास्टन मेकेड है, कितने दिन से वह रह रहे हैं इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह इस समय किसी बन्दीगृह में हैं या जमानत पर बाहर हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर) ---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कब की घटना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---३ जुलाई सन् ५६ की।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि जब उन्होंने किसी आदमी को जानवर समझकर मार दिया तो स्थानीय पुलिस ने ३०२ दफा कायम करके आगे कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष---यह जवाब में बता दिया गया, इससे नहीं उठता।

श्री राजनारायण---क्या उस विदेशी के ऊपर कोई मुकदमे की कार्यवाही चल रही है, अगर चल रही है तो किस दफा में ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया कि दफा ३०४ में चलाने का इरादा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उस पर्वतीय व्यक्ति की मृत्यु तत्काल गोली लगने से हुई या कुछ बाद में ?

श्री जगनप्रसाद रावत---तत्काल तो नहीं लेकिन घटना के बाद बहुत जल्द हो गई ?

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट-सूरजपुर सड़क की खराब हालत

*१---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला आजमगढ़ में दोहरीघाट पम्प नहर के निर्माण के कारण दोहरीघाट से सूरजपुर जाने वाली सड़क पर यातायात के वाहनों की संख्या बढ़ जाने से सड़क की हालत अत्यन्त खराब हो गई है और जनता को बड़ा ही कष्ट है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी हां। यह सही है कि जिला आजमगढ़ में दोहरीघाट पम्प नहर निर्माण के कारण दोहरीघाट से सूरजपुर जाने वाली सड़क पर यातायात के वाहनों की संख्या बढ़ जाने से उस सड़क की हालत अच्छी नहीं है।

*२---श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्का करने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह सड़क सरकार की नहीं बल्कि जिला बोर्ड आजमगढ़ की है। इस ७ मील लम्बी सड़क के १ मील टुकड़े को जिला बोर्ड ने गत वर्ष पक्का कर दिया है और २ मील लम्बे और टुकड़े को इस साल पक्का किया जा रहा है। बाकी ४ मील लम्बे टुकड़े को पक्का करने के संबंध में इस समय बोर्ड की कोई योजना नहीं है।

नोट---तारांकित प्रश्न १-३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि नहर योजना के कारण यातायात बढ़ने की वजह से सरकार उस सड़क को बनवाने की अपनी जिम्मेदारी लेगी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---नहर योजना के लिये कोई उस सड़क को अभी बनाना तो हमारे लिये जरूरी नहीं है, क्योंकि तमाम नहरों पर कच्ची सड़कें रहती हैं। लेकिन वहां के लोगों ने प्रार्थना की है कि वह सड़क बनायी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जिन लोगों ने प्रार्थना की है सड़क बनायी जाय उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनके प्रार्थना-पत्र को पढ़ लिया है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि एक डेप्यूटेशन इसी सम्बन्ध में माननीय सूचना तथा सिंचाई मंत्री से मिला था और उन्होंने वचन दिया था कि उस सड़क को पक्की करा देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---वचन देने की बात तो मान्यवर, सही नहीं है । लेकिन डेप्यूटेशन मिला था माननीय सदस्य की अध्यक्षता में ।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार बतायेगी कि ४ मील लम्बे टुकड़े को पुख्ता करने के लिये सरकार जिला बोर्ड को कोई सहायता देने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जिला बोर्ड को जो सहायता दी जाती है वह किसी विशेष सड़क के लिये नहीं दी जाती। उनको तो सड़कें ठीक करने के लिये सहायता दी जाती है। जिला बोर्ड निर्णय करता है कि कौन-सी सड़क को ठीक करें, क्या करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी इस प्रकार का निश्चय करने की कृपा करेंगे कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र से जो सड़कें सम्बन्धित हैं उन सड़कों को पक्का करने में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश---जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है उसके विषय में भी सरकार की ओर से सहायता दी जाती है और जहां तक मुझको याद पड़ता है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सबसे अधिक सहायता लगभग ३ लाख की दी गई थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि बाढ़ के क्षेत्रों में कौन सड़क को पहले ठीक करने या बनाने की ज्यादा आवश्यकता है और यह उन्हीं पर छोड़ते हैं।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो सड़कें पड़ती हैं उसको बाढ़ विभाग द्वारा बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---बाढ़ विभाग आप किसे कहते हैं, समझ में नहीं आया।

श्री उमाशंकर---सरकार का जो बाढ़ विभाग है, बाढ़ एरिया में पुल वगैरह बनवाता है।

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन् कोई बाढ़ विभाग है तो यह प्रश्न तो उन्हीं से होना चाहिये ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को यह निश्चय है कि सरकार अपने विभाग द्वारा उन सड़कों को पक्की कराये सर्वप्रथम जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र से सम्बन्धित होती हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जहां तक मुझे मालूम है ऐसा तो कोई है नहीं। और यह प्रश्न अधिकांश में सम्बन्धित है सार्वजनिक विभाग से या बाढ़ विभाग से ?

बिलरियागंज–रौनापुर सड़क को पक्की कराने की आवश्यकता

*३—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बिलरियागंज से रौनापुर जाने वाली सड़क पक्की न होने से बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ष इस सड़क को पक्का कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सही है कि बिलरियागंज से रौनापुर जानेवाली सड़क पक्की नहीं है और इसके कारण बाढ़-पीड़ित क्षेत्र की जनता को कष्ट भी होता है। यह सड़क सरकार की नहीं बल्कि जिला बोर्ड आजमगढ़ की है। धनाभाव के कारण जिला बोर्ड फिलहाल इस सड़क को पक्का करने में असमर्थ है। किन्तु जनता की सुविधा के हेतु जिला बोर्ड बराबर इस सड़क की मरम्मत किया करता है।

नगर पालिकाओं के लिये वाटर वर्क्स की योजनायें

*४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में कितने नगरपालिकाओं में वाटर वर्क्स हैं और कितने नगरपालिकाओं में नहीं हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—उत्तर प्रदेश के ६३ नगरपालिकाओं में वाटरवर्क्स हैं और ५७ नगरपालिकाओं में चालू करना शेष रह जायगा।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन-सी नगरपालिकाओं में वाटरवर्क्स की योजना चालू हो जायेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आशा की जाती है कि निम्नलिखित नगरपालिकाओं में वाटर वर्क्स योजनाएं चालू की जायेंगी:—

(१) मुजफ्फरनगर, (२) शाहजहांपुर, (३) गोंडा, (४) लखीमपुर खेरी, (५) बिजनौर, (६) सुल्तानपुर, (७) बाराबंकी, (८) रायबरेली और (९) बदायूं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार उन नगरों के नाम बतायेगी कि जिनमें २४ घंटे पानी दिया जाता है?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय यह तो बताना कठिन है, क्योंकि भिन्न-भिन्न जगहों पर नगरों में किस समय पानी दिया जाता है उसका समय नगरपालिकाओं ने निर्धारित कर रखा है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वाटरवर्क्स लगाने की योजना है उनमें प्राथमिकता किस नगर को दी जायगी?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रायरिटी का सवाल नहीं है। स्कीमें सब तैयार हो चुकी हैं और केन्द्रीय सरकार में भेजी जा चुकी हैं और वहां से मंजूर भी हो गई हैं। बस रुपया मिलने की देर है। अब रुपया कब मिलेगा यह नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मिलेगा वैसे ही काम शुरू हो जायगा। सामान्य रूप से पाइप वगैरह की कुछ जरूरत होती है, वह अक्सर समय पर नहीं मिलता और उसमें देर हो जाती है, लेकिन इसमें प्रायरिटी का कोई सवाल नहीं है। जैसे-जैसे रुपया मिलता जायगा हम काम शुरू करने की कोशिश वैसे-वैसे बराबर करते रहेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह सामान जो कि इन योजनाओं के लिये आवश्यक होगा उसको इकट्ठा करने की योजना सरकार की है और उसके इकट्ठा करने के सब साधन सरकार के पास हैं या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---इकट्ठा करने के साधन जरूर हैं लेकिन वह सामान बाज वक्त नहीं मिलता है। बाकी और जितनी स्टेट्स हैं सब जगह इसी तरह से काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो सामान देश में पैदा होता है वह बराबर से बट जाता है उसमें किसी स्टेट को तरजीह नहीं होती है। कुछ सामान बाहर से आता है, बाज वक्त वह भी काफी नहीं होता और बाहर से जो सामान आता है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। यह सारी कठिनाई हमारे सामने है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के रहते हुये भी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी योजनायें तकमील को पहुंच जायं।

इलाहाबाद जिले की अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*६---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की अदालतों में कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनका फैसला ३ वर्षों से नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां।

श्री कल्याण चन्द मोहिले---श्रीमन्, यह उत्तर मेरी समझ में नहीं आया कि "जी हां ऐसे हैं" से क्या मतलब है ? मैंने पूछा था कि कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनका फैसला तीन साल से नहीं हुआ है।

श्री सैयद अली जहीर---दीवानी के मुकदमे सिविल कोर्ट में ३३५ हैं जो तीन वर्ष के पुराने हैं, फौजदारी का मुकदमा ऐसा कोई नहीं है जो ३ वर्ष का पुराना हो। माल के मुकदमे ३ वर्ष पुराने सिर्फ १० हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार उन मुकदमों में देर लगने का कारण बतायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक इन माल के मुकदमों का ताल्लुक है इसकी वजह तो इसमें लिखी हुई है। यह मालूम होता है कि यह मुकदमे रोक दिये गये थे। कोई अपील हुई थी तो उसमें यह मुकदमे रोक दिये गये और जब तक वह अपील निगरानी खत्म नहीं हुई तब तक यह मुकदमे शुरू नहीं हुये। इसी वजह से देर हुई। फौजदारी के कोई ऐसे मुकदमे नहीं हैं। जहां तक दीवानी का ताल्लुक है उसमें ३३५ ऐसी कोई तादाद नहीं है जिसके लिये कोई जवाब देने की जरूरत हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बाज-बाज जगह इससे भी बहुत ज्यादा मुकदमे तीन साल के पहले के पड़े हुये हैं। इसकी वजह यही है कि काम बढ़ गया है और जितना काम वह लोग कर सकते थे उससे भी ज्यादा काम उनके पास है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ३३५ दीवानी के मुकदमों में अपील कितनी है और मुन्सिफी या सिविल जजी की जो अपील है उनमें ओरिजनल सूट कितने हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---डिस्ट्रिक्ट जजी की अदालत में ७ ऐसे मुकदमे हैं जो ३ वर्ष के पुराने हैं। सिविल जज के यहां ६६ मुकदमे ऐसे हैं, खफीफा में ९ ऐसे मुकदमे हैं। मुन्सफी वेस्ट में ९६ मुकदमे ऐसे हैं, मुन्सिफी ईस्ट में १०६ मुकदमे। फर्स्ट एडीशनल मुन्सिफ के यहां ३५ मुकदमे और सेकेंड एडीशनल मुन्सिफ के यहां ६ मुकदमे ऐसे हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार मुन्सिफों की तकर्रुरी का विचार कर रही है कि मुकद्दमों के फैसले जल्द हो जावें ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, सिविल कोर्ट के अफसरों के काडर में कुछ इजाफा हो रहा है और कोशिश है कि ऐसे अफसर मुकर्रर किये जावें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—कोर्ट से सालाना डिसपोजल आफ केसेज क्या है, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका कुछ हिसाब हमारे यहां बराबर सिलसिले से हाई कोर्ट के आफिस में आता है और वहां दफ्तर में रहता है।

*७-९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जौनपुर के प्रेसीडेंट का त्यागपत्र

*१०—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जौनपुर के प्रेसीडेंट ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या उनका त्यागपत्र स्वीकृत हो गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य चुन लिये गये हैं, इसलिये उन्होंने प्रेसीडेंट के पद से त्यागपत्र दे दिया है। उनका त्यागपत्र स्वीकृत हो गया है।

जौनपुर जिला बोर्ड के उपचुनाव के संबंध में जानकारी

*११—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला बोर्ड में कितने रिक्त स्थानों का चुनाव होने वाला है और वह कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला बोर्ड जौनपुर में ७ रिक्त स्थानों का चुनाव होने वाला है। इन चुनावों की तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है, किन्तु निकट भविष्य में इन चुनावों से होने की सम्भावना है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये ७ स्थान किन-किन तारीखों से रिक्त हो गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं, नोटिस चाहिये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ७ स्थानों का चुनाव कितने दिनों से खाली है और अभी तक क्यों नहीं भरे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—कितने दिनों से खाली हैं, यह निवेदन करने के लिये इस समय यहां सूचना नहीं है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि इस सिलसिले में एक विधेयक इस सदन में पेश किया गया था और उस समय जो कठिनाइयां जिला बोर्डों के उपचुनाव में पड़ रही थीं वे दूर कर दी गई हैं। उसकी फिर से तैयारियां की जा रही हैं और जैसे ही वे हो जायेंगी, उपचुनाव होंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्यकाल दिसम्बर, १९५६ तक बढ़ाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो उपचुनाव का सवाल है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मियाद जरूर १९५६ दिसम्बर तक बढ़ी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सन् १९५७ में जो आम चुनाव होने वाला है उसके पहले क्या जो स्थान खाली पड़े हैं उनका चुनाव होगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह कहना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि जिस वक्त वह कानून हमने पेश किया था तो यही ख्याल था कि आम चुनाव के पहले ये उपचुनाव हो जावें लेकिन उसमें कुछ बाधायें पड़ गईं और कुछ दिक्कतें हुईं जिनकी वजह से नहीं हो सके और फिर उसके बाद बरसात आ गई। अब अक्टूबर तक तो उपचुनाव नहीं हो सकते, अक्टूबर के बाद अगर आम चुनाव शुरू हो गये तो जाहिर है कि उस बीच में सौ डेढ़ सौ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपचुनाव कराना मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल, यह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हो जावें। सारे हालात माननीय सदस्य जानते हैं और उनको देखते हुये फैसला करना होगा कि उपचुनाव कराये जावें या नहीं।

*१२—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

न्यायालयों में साक्षियों के खड़े होने के संबंध में राजाज्ञा

*१३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—क्या यह सही है कि १४ अप्रैल, १९४९ को सरकार की तरफ से एक जी० ओ० जारी किया गया था जिसमें यह आदेश दिया गया था कि अदालतों में गवाहान को साक्षियों के लिये नियत स्थान पर खड़े होकर गवाही देनी चाहिये और किसी गवाह को मैजिस्ट्रेट के पास मंच पर नहीं बिठाया जाना चाहिये ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, ऐसे आदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू ने अप्रैल, १९४९ ई० में जारी किये थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कुछ मैजिस्ट्रेट इस आदेश का पालन नहीं करते और इन आदेशों के विरुद्ध डाक्टर इत्यादि को मंच पर बिठाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं यह नहीं कह सकता कि कहां इसका पालन होता है और कहां नहीं होता। अगर किसी जगह के बारे में बताया जाय कि वहां पालन नहीं होता तो सरकार दरियाफ्त करेगी कि उसका पालन क्यों नहीं हुआ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास कोई ऐसी इत्तला नहीं आई है कि मेरठ कचेहरियों में डाक्टरों के मामलों में इस आदेश का पालन नहीं होता।

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, जहां तक मुझे याद है ऐसी कोई इत्तला नहीं आयी।

*१४—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[१४ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[८ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में एलेक्टर रोल की छपाई

*१६—**श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार ने जिला बलिया के एलेक्टर रोल छपाने का काम वहां के स्थानीय प्रेसों को सन् १९५५ में दिया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न १६–१८ श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह ने पूछे।

*१७—श्री राधामोहनसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने रुपये का यह ठेका था और अब तक इस रुपये का भुगतान प्रेस वालों को कर दिया गया या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—कुल ३९,०२६ रु० १ आना २ पाई का काम हुआ जिसमें १९,००० रु० प्रेसवालों को दिये जा चुके हैं।

*१८—श्री राधामोहनसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना रुपया छपाई का किस-किस प्रेस का अभी तक बाकी है और उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बाकी रुपये का विवरण इस प्रकार है :—

		रु०	आ०	पा०
(१)	नवभारत प्रेस	३,२७९	४	१०
(२)	अमर प्रेस	१,७२९	१०	१०
(३)	गुप्ता आर्ट प्रेस	२,२३७	७	६
(४)	बालेश्वर प्रेस	३,४३५	१४	२
(५)	जगन्नाथ प्रेस	२,३३१	६	०
(६)	रामेश्वर प्रेस	३,३४३	९	०
(७)	लोक सेवक प्रेस	२,२७७	१	०
(८)	विद्या मन्दिर	१,३९१	११	१०
	योग ..	२०,०२६	१	२

छपाई के बिल प्रेस वालों से फरवरी सन् १९५६ में प्राप्त हुए और २२ फरवरी सन् १९५६ को सुपरिन्टेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद जांच के लिए भेजे गये। चूंकि वहां से वे अभी तक वापस नहीं आये हैं इस कारण बाकी रुपया अभी तक नहीं दिया जा सका।

श्रीमन्, अभी सदन में मेरे पास सूचना आयी है सुपरिटेंडेंट, प्रिंटिंग प्रेस ने वह बिल चुका कर के भेज दिये हैं जिले में और आशा यह है कि शीघ्र ही इसका भुगतान हो जायगा।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्रेसों का नाम अभी बताया गया यह सब बलिया जिले में ही स्थित हैं या कहीं बाहर हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिए तो श्रीमन्, नोटिस की आवश्यकता है। यह तो इसमें लिखा नहीं है कि कहां स्थित हैं।

जौनपुर नगरपालिका से पैदाइश रजिस्टर की नकल का न मिलना

*१९—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है फरवरी सन् १९५६ में सरकार ने कोई गश्ती चिट्ठी इस प्रदेश की ओर से जारी की है कि फौती पैदाइश के रजिस्टरों की नकल लोगों के मांगने पर निर्धारित फीस मनी आर्डर द्वारा अदा करने पर दी जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस चिट्ठी की प्रतिलिपि एक सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३७–१३८ पर)

*२०—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या यह बात सही है कि जौनपुर नगरपालिका ने २२ दिसम्बर, १९११ की पैदाइश रजिस्टर की नकल मांगने पर फरवरी, १९५६ में नकल देने से इन्कार किया जब कि दिसम्बर, १९५५ में मनीआर्डर द्वारा फीस नगरपालिका ने प्राप्त कर ली थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, वरन् नगरपालिका ने उक्त पैदाइश रजिस्टर के उपलब्ध न होने के कारण नकल देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी ।

*२१—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि सन् १९११ का रजिस्टर अब लापता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह रजिस्टर सन् १९५४ तक मौजूद था ?

श्री सैयद अली जहीर—मामले की जांच हो रही है, और अभी यह निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त रजिस्टर लापता है ।

*२२-२४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१४ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

नैनीताल नगरपालिका कर्मचारियों के लिये हाउस रेंट अलाउन्स की सिफारिश

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या नैनीताल नगरपालिका ने अपने म्युनिसिपल कर्मचारियों के हेतु "हाउस रेन्ट एलाउन्स" (house rent allowance) स्वीकृत किये जाने के हेतु कोई सिफारिश सरकार के पास भेजी है ? अगर हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड ने इस अलाउन्स के संबंध में सरकार के पास कुछ सिफारिशें भेजी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—किस-किस को कितने-कितने अलाउन्स के लिये नगरपालिका ने सिफारिश की है, यह आंकड़े इस समय मौजूद नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के, १९२० के बाद से हाउस टैक्स अलाउन्स देती रही थी लेकिन सरकार के आदेश के अनुसार वह रोक दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है जो तिवारी जी का कहना है वह सही हो । उसकी वजह यह हुई कि एक कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आयी । उसने उसमें कुछ कायदे बनाये थे । उन कायदों के मुताबिक जो लोग आये सिर्फ उन्हीं को हाउस रेंट अलाउन्स मिल सका होगा । इसी सिफारिश को मान कर ऐसे आदेश जारी किये गये थे । जो लोग उसमें नहीं आते थे जाहिर है कि उनका हाउस रेंट अलाउन्स बन्द हो गया होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है कि नैनीताल की महंगाई को देखते हुए वहां के म्युनिसिपल बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउन्स देने के लिये आदेश देगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जैसा जवाब में कहा गया है कि इस मामले पर गौर हो रहा है कि आम कायदे जो हुए हैं उनसे अलहदा क्या उनके लिये कोई चीज की जा सकती है । जब उसका फैसला हो जायगा इत्तला दे दी जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसका फैसला कब से विचाराधीन है और कब तक इसका फैसला हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में एक साल से ज्यादा से है लेकिन अब जल्द उसका फैसला हो जायगा ।

नैनीताल म्युनिसिपैलिटी के बिजली एवं जलकल विभाग कर्मचारी यूनियन की मांगें

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास नैनीताल म्युनिसिपैलिटी के बिजली एवं जलकल विभाग के कर्मचारियों की कुछ मांगे उनकी यूनियन के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार उन मांगों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३९–१४० पर)

*२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त मांगों में से किन-किन मांगों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इन मांगों पर आवश्यक विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही राजकीय आदेश भेजे जाने की संभावना है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य के आदेश किन-किन मांगों के सम्बन्ध में भेजे जाने की संभावना है ?

श्री कैलाशप्रकाश—राज्य के आदेश सभी मांगों पर भेजे जायेंगे, क्या आदेश होंगे यह बात दूसरी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सरकार ने अब तक इन मांगों में से किन-किन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर लिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ये सब मांगें सरकार के सामने हैं । जिस वक्त उन पर अन्तिम फैसला हो जायगा, तब तो वे चले ही जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड नैनीताल से इन मांगों के सम्बन्ध में कोई राय मांगी है ? यदि हां तो म्युनिसिपल बोर्ड ने क्या राय दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—हां, राय तो म्युनिसिपल बोर्ड से भी आयी है । अब हर मांग के बारे में क्या-क्या राय है वह तो इस समय मौजूद नहीं है ।

*२८–२९—श्री उमाशंकर—[२२ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ४–५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३०–३१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२–३४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५–३७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२५ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ७–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

टेहरी-गढ़वाल जिलान्तर्गत कीर्तिनगर टाउन एरिया कमेटी को टोल टैक्स लगाने का अधिकार देने पर विचार

*३८—श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के अन्तर्गत कीर्तिनगर टाउन एरिया कमेटी ने टोल टैक्स के सम्बन्ध में उपनियम बना कर सरकार के पास भेजे हैं ? यदि हां, तो कब और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—टाउन एरिया कमेटी कीर्तिनगर के चेयरमैन ने अपने १ अप्रैल, १९५३ ई० के पत्र द्वारा जिलाधीश टेहरी-गढ़वाल से कमेटी के टोल टैक्स सम्बन्धी उपनियमों की स्वीकृति मांगी थी किन्तु जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति नहीं दी। क्योंकि यह टाउन एरिया बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। इसके पश्चात् कमेटी के चेयरमैन ने अपने ८ जुलाई, १९५३ ई० के पत्र द्वारा सरकार से प्रार्थना की कि जिलाधीश का आदेश रद्द कर दिया जाय और कमेटी को टोल टैक्स लगाने की आज्ञा प्रदान कर दी जाय।

यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि टाउन एरिया कमेटी का जो चेयरमैन है उसकी अपील पर सरकार ने ४ जून, १९५४ को यह फैसला दिया था कि टाउन एरिया कमेटी कीर्तिनगर टोल टैक्स लगा सकती है और उस सम्बन्ध में सरकार ने बाई लाज स्वीकृति के लिये मांगे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जहां तक टाउन एरिया कमेटी के टोलटैक्स लगाने का प्रश्न है वह टोल टैक्स लगा सकती है, जैसा कि उत्तर में लिखा है। प्रश्न इस टाउन एरिया के बारे में है कि वह बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है। वे यात्री जो बद्रीनाथ को जाते हैं उनको कई इस तरह के स्थानीय निकायों को पार करना पड़ता है। तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस पर टैक्स लगाया जाय जिससे बद्रीनाथ पहुंचते-पहुंचते उन यात्रियों पर ज्यादा टैक्स न लग जाय। इसी सिलसिले में सरकार ने लिखा होगा कि टोल टैक्स लगाने का उनको अधिकार है। और वे किस तरह से टोल टैक्स लगाते हैं, क्या हैं, नियम हैं उसको लिख कर भेजें।

श्री सत्यसिंह राणा—क्या यह सही है कि सरकार ने बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाली प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी को यह आदेश दिया है कि वे दो आने से ज्यादा टोल टैक्स न लगावें और उसके लिये वे उपनियम बना कर सरकार के सामने स्वीकृति के लिये पेश करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय तो मुझे याद नहीं है। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है कि प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी में क्या टोल टैक्स लगता है।

शामली-गढ़ी सखावत सड़क पर अधूरा काम

*३९—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शामली से गढ़ी सखावत (१३ मील) तक जो सड़क मेरठ को गई है अपर दवाव शुगर फैक्टरी शामली ने जिसको पक्की सड़क बनाना आरम्भ किया था उसको केवल सात मील केराना तहसील की सीमा तक बना कर अधूरी क्यों छोड़ दिया है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—क्योंकि इतनी ही सड़क मिल के सुरक्षित क्षेत्र के अन्दर पड़ती है।

*४०—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार शेष ६ मील कच्ची सड़क को पक्की सड़क बनवाने का आदेश अपर दवाव शुगर मिल को देने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, क्योंकि यह भाग मिल के सुरक्षित क्षेत्र के बाहर पड़ता है ।

*४१—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त सड़क के पास के अधिक से अधिक दूरी के किन-किन ग्रामों का गन्ना यह मिल ले रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कवरोत ग्राम ।

हमीरपुर जिले में सालारपुर ताल पर बाध निर्माण योजना

*४२—श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि हमीरपुर जिले के सालारपुर बांध पर कितना काम हो चुका है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—सालारपुर ताल की योजना पर जांच-पड़ताल का कार्य समाप्त हो चुका है, और निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ।

*४३—श्री तेजप्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त बांध पर काम बन्द किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं । सरकार ने योजना को स्वीकृत कर लिया है । लगभग ३ लाख इस योजना पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय होगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बीच में इस डैम का कार्य स्थगित कर दिया गया था ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य बीच के कार्य पर क्यों जोर दे रहे हैं ? अब तो उस पर कार्य हो रहा है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस बांध पर कुल कितना रुपया व्यय होगा और इससे कितनी सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने तो प्रश्नोत्तर में बताया कि इसमें तीन लाख रुपया व्यय होगा और लगभग ६ हजार ३ सौ एकड़ की इससे सिंचाई होगी ।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में पंचायत चुनाव संबंधी पेटीशन्स

१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पंचायतों के चुनाव में कितने पेटीशन दायर हुये तथा उनमें से कितने स्वीकार हुये, कितने अस्वीकार हुये तथा कितने अभी तक अनिर्णीत हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । पंचायतों के चुनाव में कुल ३१९ एलेक्शन पेटीशन दायर हुये । उनमें स्वीकार किये गये की संख्या ४५ व अस्वीकार किये गये की २५४ है । २० अभी तक अनिर्णीत हैं ।

आजमगढ़ जिले में हैजे के प्रकोप से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय उमाशंकर जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है । वह इस प्रकार है—

"आजमगढ़ शहर एवं जिले में फैले हुए भयंकर हैजे के प्रकोप जिसके परिणाम-स्वरूप शहर में ही लगभग ४० व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उसकी समुचित रोकथाम स्वास्थ्य विभाग

नोट—तारांकित प्रश्न ४२–४३ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

[श्री अध्यक्ष]

द्वारा न करने के कारण उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बात है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो अभी इस विषय की कोई सूचना है नहीं। मैंने अभी असिस्टेंट डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ और सिविल सर्जन आजमगढ़ से पूछ रखा है। अभी मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है। कल तक मैं इस विषय में कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो मैं कल ही लूंगा इसको।

***श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)**—मैं एक निवेदन सरकार से आपके द्वारा करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की महामारियां प्रदेश में फैली हों तो उस समय सरकार को जल्दी सूचना न हो यह मैं समझता हूं कि बड़ी आपत्तिजनक बात है और दो मर्तबे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने इस सदन में ऐसी बात कही। देवरिया में बरहज में उस रोज ६३ आदमियों की मौतें हुई थीं तब भी उन्होंने यही बात कही और आज आजमगढ़ शहर जो जिले का हेडक्वार्टर है वहां के लिए उमाशंकर जी ने प्रस्ताव रखा है तो माननीय मन्त्री ने वही बात कही। तो मैं आपके द्वारा उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उन को इस मामले में अधिक सतर्क रहना चाहिए और अपने अधिकारियों से यह कहना चाहिए कि कम से कम जब जिले के हेड क्वार्टर पर इस तरह की बीमारी फैले तो सरकार को वहां की ऐसी खबरों से जरूर सूचित कराना चाहिए ताकि सरकार उसके लिए प्रबन्ध कर सके।

श्री अध्यक्ष—तो इस सम्बन्ध में तो मैंने पहले कुछ संकेत उस दिन कर दिया था। लेकिन अगर ११ बजे के करीब दस या पांच मिनट पहले कोई कामरोको प्रस्ताव देवे और उसमें यह भी कह दे कि इतने आदमी मरे, यह घटना हुई, और उसका ब्यौरा भी दे देवे तो मैं समझता हूं कि यह मन्त्री जी के लिए मुश्किल है कि वह तत्काल यहां से जाकर दफ्तर में पांच दस मिनट में सूचना ले आयें क्योंकि अगर दफ्तर में सूचना होगी भी तो उन्हें ढूंढ़ना पड़ेगी। मैं समझता हूं कि अगर कल मंत्री जी जवाब न दे सकें तो तब ऐसी कोई बात उठाई जा सकती है, क्योंकि पांच या दस मिनट पहले कामरोको प्रस्ताव आ जाते हैं फिर उन्हें मैं मंत्रियों के पास भेजता हूं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई उनका दोष मुझे नहीं दिखाई देता इस वक्त। कल उनके जवाब देने के बाद ये बातें आप कह सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—दफ्तर में भी खबर नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—यह अब कल मालूम हो सकेगा।

संविधान (छठां संशोधन) विधेयक, १९५६ द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन भारत के संविधान की सातवीं सूची, अनुच्छेद २६९ तथा अनुच्छेद २८६ के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जिन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छठां संशोधन) विधेयक, १९५६ द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।"

मैं थोड़े में इस प्रस्ताव और उस विधेयक की, जिसका कि उसमें जिक्र है, भूमिका और उनका उद्देश्य आपके सामने निवेदन करने का यत्न करूंगा। एक बात कह देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का और विधेयक का सम्बन्ध बिक्री कर से है। जिस वक्त बिक्री कर का नाम सारे प्रदेश के वातावरण में व्याप्त है, हमारे दिमागों में भी गूंज रहा है, तो इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो विषय हमारे सामने इस समय है उसका सम्बन्ध बिक्री कर के उस अंश से नहीं है जो कि राज्य के भीतर लिया जाता है। राज्य के भीतर किसी वस्तु विशेष पर बिक्री कर लिया जाय, न लिया जाय, कितना लिया जाय, किस दर से लिया जाय, इस विधेयक का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है और न प्रस्ताव का संबंध है। इसका विषय बिक्री कर का वह पहलू है जो दो राज्यों के बीच में जो व्यवहार होता है उसमें जहां पर सम्बन्ध आता है केवल उतने से ही सम्बन्ध है इसलिए मैं इस सदन का समय राज्य के भीतर के बिक्री कर के सम्बन्ध में कुछ कह कर नहीं लेना चाहता।

इसका इतिहास यह है कि बिक्री कर लगाने का राज्य को अधिकार है और हमारे संविधान में जो सातवीं अनुसूची है उसमें जिसका सम्बन्ध राज्य से है जिस अंश का, उसमें ५३–५४ में यह लिखा हुआ है कि राज्य को बिक्री कर लगाने का अधिकार है, सिवाय अखबारों के, और अखबारों में जो विज्ञापन छपते हैं वह केन्द्र का अंश है। बिक्री-कर हम लगा सकते हैं और हम लगाने की कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में दो-तीन तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं और होती रही हैं वर्षों से उस जगह पर जहां दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन, भुगतान होता है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद २८६ की ओर दिलाता हूं। २८६ में लिखा है, "राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय––

(क) राज्य के बाहर, अथवा

(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर निर्यात के दौरान में होता है वहां कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी।"

इसके आगे एक व्याख्या दी हुई है, वह भगवान जाने क्या व्याख्या है, उसी ने यह सारी मुसीबत पैदा कर दी है––

उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिए कोई क्रय या विक्रय उस राज्य में हुआ समझा जायगा जिसमें ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में उपभोग के लिए वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रय सम्बन्धी साधारण विधि के अधीन उन वस्तुओं का स्वत्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय के कारण किसी दूसरे राज्य में क्यों न हो चुका हो।" मैं आशा करता हूं कि इसको माननीय सदस्यों ने समझ लिया होगा। बड़ी सरल भाषा मालूम होती है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि बहुत सी दिक्कतें पैदा हुईं। मैं दो एक दिक्कतों को उदाहरण देकर समझाने का यत्न करूंगा। मान लिया जाय कि कोई व्यक्ति है उसका नाम है क, वह कलकत्ते में रहता है। उसका एक दफ्तर यहीं कहीं लखनऊ में भी है। दूसरा व्यापारी लखनऊ में है उसका नाम ख है। क ने ख से कोई सामान खरीदा। अब जहां तक सामान के मिलकियत की बात है वह ऐसे व्यक्ति के पास चली गई जो कलकत्ते में रहने वाला है। मान लिया जाय यह माल जो खरीदा था वह सारे का सारा उत्तर प्रदेश में ही खर्च हो गया। ऐसी हालत में तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि माल यहीं खर्च हो गया मालिक कोई भी हो। इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार बिक्री कर ले लेती है।

दूसरी सूरत यह है कि जो आदमी क है उसने ख से माल खरीदा और उसको कलकत्ते ले गया तो अब कलकत्ते में खर्च होगा। ऐसे मौके पर झगड़ा पड़ता है। जहां कहीं ऐसे मामले होते हैं वहां की सरकार कहती है कि हम एक चीज जानते हैं कि हमारे प्रदेश में एक व्यापारी है, उससे कलकत्ते के व्यापारी ने माल खरीदा। उसने कहां खर्च किया इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बाहर ले जाय तो कोई कर ले या न लें, हम कुछ नहीं जानते हैं। बंगाल की सरकार कहती है कि माल हमारे यहां खर्च हुआ तो बिक्री कर हम

[डॉक्टर सम्पूर्णानन्द]

लेंगे। १९५३ में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसमें कोर्ट ने फैसला बंगाल सरकार के पक्ष में किया। उस मुकद्दमे का नाम था स्टेट आफ बाम्बे वरसेज यूनाइटेड मोटर्स इंडिया लिमिटेड। यह फैसला दिया कि जिस राज्य में माल की खपत होती है उसी राज्य की सरकार को बिक्री कर लेने का अधिकार है। इसकी वजह से दिक्कतें पैदा हुईं। खयाल कीजिये कि जिसने माल बेचा उसका दफ्तर लखनऊ में है जिसको माल बेचा उसका दफ्तर कलकत्ते में है। जब बिक्री कर लगेगा तो लखनऊ के व्यापारी को अपना बहीखाता कलकत्ते ले जाना पड़ेगा। अगर उसका कई प्रदेशों से व्यापार है तो न जाने उसको कहाँ-कहां जाना पड़ेगा। इसलिये व्यापार में बड़ी दिक्कत पैदा हुई तब भारत सरकार ने यह कर दिया कि व्यापारी न जाया करें बल्कि जिस राज्य का बिक्री कर बाकी हो उस राज्य के अधिकारी वहां बैठ कर हिसाब-किताब करेंगे।

इसके दो वर्ष बाद दूसरा मुकद्दमा सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें उसने अपना पहले का फैसला बदल दिया। यह था बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड वरसेज स्टेट आफ बिहार। उसमें यह फैसला दिया कि जब दो राज्यों में व्यापार हुआ हो तो किसी राज्य को कर लेने का अधिकार नहीं है। सितम्बर का यह फैसला है, उस समय से आज तक किसी राज्य को एक पैसा भी नहीं मिल रहा है। यही राज्य की आमदनी का जरिया है। दूसरी दिक्कत पैदा होती है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है। कोई कलकत्ते का व्यापारी है। एक आदमी लखनऊ में रहता है, वह एजेन्ट है, मालिक नहीं है तो जो खरीद-फरोख्त एजेंट के द्वारा लखनऊ में होती है उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाय या नहीं। हमारे यहां सेल होती है इसलिये हम कहेंगे कि हमारे यहां सेल हुई। एजेन्ट कहेगा कि हम मालिक नहीं है हम तो एजेंट है। इस तरह से मुकद्दमेबाजी चलती रही और यह मामला काम्प्लीकेटेड होता गया। इसके बाद टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी में यह मामला गया तो उसने यह फैसला दिया कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बिक्री कर एक ऐसी चीज है जो राज्यों के पास रहनी चाहिये। उनके पास कोई दूसरा साधन ऐसा है नहीं जिससे वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। लेकिन जब तक इस किस्म के झगड़े चलते रहेंगे तब तक राज्यों को आमदनी भी नहीं मिलेगी। इसलिये उन्होंने कहा कि सेक्शन २६९ में संशोधन कर दिया जाय। आपने देखा होगा कि उसमें कई ऐसे टैक्सों के नाम लिखे हुये हैं जिनको केन्द्रीय सरकार वसूल करेगी और राज्यों में बांट देगी। तो उन्होंने कहा कि यह जो इंटरस्टेट सेल्स टैक्स है उसको भी केन्द्रीय सरकार वसूल कर ले और उसके बाद राज्यों में बांट दे। अब कैसे बांटे यह पार्लियामेंट तय करेगी कि इतने परसेंट फलां को दिया जाय इतने परसेंट फलां को दिया जाय, उसकी पापुलेशन की बेसिस पर। तो इसके बारे में राज्य सरकारों से राय ली गयी थी और प्रायः सभी राज्य सरकारों ने इसका समर्थन किया और यह भी उसी संशोधन के अन्दर है कि यह भी तय कर दे कि किसको कहते हैं इंटरस्टेट ट्रान्जेक्शन, क्योंकि यह जो परिभाषा है उसके अनुसार बड़ी दिक्कत होती है। तो मुख्य चीज के अन्दर तो यह है कि आज राज्य सरकार जो इंटर स्टेट टैक्स ले सकती है वह हमारे यहां से उठा कर यूनियन लिस्ट में कर दे। दूसरी चीज यह है कि उनको अख्तियार है कि रुपया वसूल करके सबको बांट दें।

एक चीज इसके अन्दर और है और वह यह है कि सेक्शन २८६ में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कर तो ले सकेगी लेकिन कुछ अगर ऐसी चीजें हों जो कि देश के हित के लिये बहुत ही आवश्यक हों तो उन चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती बिना प्रेसीडेंट की अनुमति के। वह एशेंसल गुड्स ऐक्ट, सन् १९५२ में पास हुआ था। उसी के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार किसी ऐसी वस्तु पर जिसका नाम उस सूची में दिया हुआ है उस पर टैक्स लगाना चाहे तो उसको पहले प्रेसीडेंट से अनुमति लेनी होगी। इसमें एक बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश को मद्रास वगैरह के मुकाबले में। उसका कारण यह है कि हमने

जब सेल्स टैक्स अपने यहां लागू किया तो बहुत सी आवश्यक वस्तुओं पर, जैसे अन्न वगैरह पर टैक्स नहीं लगाया था जबकि मद्रास वगैरह पहले से ही उन चीजों पर टैक्स लेते रहे हैं। तो जो नया कानून सन् ५२ में बनाया गया उसमें यह रखा गया कि जो राज्य पहले से कर लेते आये हैं वे तो लेते रहें लेकिन अब कोई राज्य नये सिरे से न ले। तो जिन राज्यों ने शुरू में उदारता के कारण कई चीजों को छोड़ रखा था वे अब ले नहीं सकते लेकिन मद्रास ऐसे राज्य जो पहले से लेते आते थे वे ले सकते हैं। तो इसकी वजह से काफी संघर्ष रहता है राज्यों में और केन्द्रीय सरकार से बराबर कहा जाता था कि कुछ राज्यों को यह जरिया अपनी आमदनी को बढ़ाने का मिला हुआ है और कुछ को नहीं। अब उन्होंने इस चीज को तो निकाल दिया है और दूसरी दृष्टि से कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई दो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इंटर-स्टेट व्यवहार की दृष्टि से महत्व की हों। मिसाल के लिये उन्होंने कहा कि एक राज्य है उसमें मान लो रुई पैदा होती है और किसी दूसरे राज्य में रुई के कारखाने हैं, तो जिस राज्य में रुई पैदा है वह अगर चाहे तो अपने यहां इस तरह से सेल्स टैक्स के प्रतिबन्ध लगा सकती है कि दूसरे राज्य को, जिसमें रुई के कारखाने हैं उसको रुई मिले ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो इंटर स्टेट व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्व की चीजें हों सम्भव है कि कुछ राज्य ऐसे टैक्स लगा लें जिससे दिक्कत पड़े। तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को भी केन्द्रीय सरकार तय करेगी कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जो इस किस्म की हैं कि उनकी बाबत केन्द्रीय सरकार यह तय करेगी कि उन पर कितना सेल्स टैक्स लगना चाहिये। जो इंटर-स्टेट महत्व की हैं।

दूसरा संशोधन इसके अन्दर यह है। इस संशोधन के बाद मैं इतना बता देना चाहता हूं कि शायद और सरकारों ने भी किया है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें इसमें हानि होती है यह हमारा रोजगार है और आप वहां बैठ कर तय करें कि इंटरस्टेट दृष्टिकोण से किन किन पर कितना कितना सेल्स टैक्स लगना चाहिये। हमारी चीज की सारे देश में खपत है हमको उससे चार पैसे मिल जायेंगे तो जब कभी सेल्स टैक्स लगना हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की राय लेकर ही लगाना चाहिये। सभी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा होगा कि इसको कानून में लिख दो लेकिन कानून में तो नहीं लिखा उन्होंने लेकिन वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर साहब द्वारा एक ऐश्योरेंस आया है कि जब हम सेल्स टैक्स लगाने के अधिकारों को सीमित करना चाहेंगे तो हम जरूर स्टेट गवर्नमेंट से राय ले लेंगे और उनकी राय से ही करेंगे। तो जो संशोधन आज हमारे सामने है वह २९ मई को हाउस आफ दि पीपुल में पास हुआ और कौंसिल आफ स्टेट में ३१ मई को पास हुआ। अब इन्डोर्समेंट के लिये आया है। उसका थोड़े में यही मतलब है कि एक तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्स को राज्य सूची में से निकालकर यूनियन की सूची में कर दिया जाय। दूसरी चीज यह है कि यूनियन सरकार द्वारा वसूल करके राज्यों में बांट दिया जाय और तीसरी चीज यह कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स की क्या परिभाषा होनी चाहिये वह परिभाषा भी वह कर दें और चौथी चीज यह है कि जो चीजें इंटर स्टेट व्यापार की दृष्टि से महत्व की है उनके सम्बन्ध में सेल्स टैक्स लगाने का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार करेगी। यह थोड़े में तात्पर्य है इस संशोधन का। आशा है जो प्रस्ताव मैंने रखा है सदन उसको स्वीकार करेगा। जब यह सब जगह से स्वीकृत हो जायगा तभी हमको पैसा मिलना शुरू हो जायगा। जब तक यह स्थिति नहीं होगी तब तक डेढ़ वर्ष हुये हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है यद्यपि करोड़ों रुपयों का व्यापार हो रहा है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दो संशोधन इस संकल्प में प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इस संकल्प की प्रथम पंक्ति में शब्द व अंक "तथा अनुच्छेद २८६" के स्थान पर निम्न शब्द व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अंक "के उप-अनुच्छेद (I) में बढ़ाये जाने वाले उपभाग (g) तथा अनुच्छेद २८६ के उप-अनुच्छेद (I) के स्पष्टीकरण हटाये जाने हेतु" रख दिये जायं।

दूसरा है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं :—

"साथ ही यह सदन सिपारिश करता है कि खाद्यान्नों, मिट्टी-तेल, नमक, खाने का तेल, मोटा कपड़ा आदि जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगाने को संविधानतः वर्जित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं। संविधान का अनुच्छेद ३६८ यह बताता है कि जब कोई संविधान में परिवर्तन लोकसभा करे या केन्द्रीय लेजिस्लेचर करे तो किस अवस्था में स्टेट लेजिस्लेचर का मत उसमें लेने की आवश्यकता है। इसी तरह का प्रश्न एक दफा और इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित हुआ था कि यदि इस तरह का मत हर एक विधान मंडल को पूछने का प्रयोजन हो तो ऐसी अवस्था में वह विधान मंडल क्या कर सकता है। इस विषय में मैं पहले एक फैसला भी दे चुका हूं। जब हर एक स्टेट लेजिस्लेचर की मंजूरी या रेटिफिकेशन हो जाय तब संविधान में परिवर्तन उस अवस्था में हो सकता है। केन्द्रीय लेजिस्लेचर ने प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करा लिया है और अब सिर्फ इस सदन के सामने प्रश्न यह है कि उसको वह रेटीफाई करता है या नहीं करता। अनुच्छेद ३६८ में विधेयक में संशोधन करने का कहीं भी अधिकार प्रदेशीय विधान मंडल को नहीं दिया गया है और न संशोधित रूप में स्वीकार करने का अधिकार है। संशोधन उपस्थित करने का अधिकार केवल लोकसभा या राज्यसभा को ही है और उसको ही हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा फैसला ६ दिसम्बर, १९५४ का स्पष्ट है कि विधेयक में संशोधन लाने का इस सदन को अधिकार नहीं है इसलिये आपका यह संशोधन उपस्थित नहीं हो सकता। यह अवैधानिक होने के कारण मैं इजाजत नहीं देता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी इस तरह का संशोधन पेश करें। वह सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यह सदन रेटीफाई करता है या नहीं और इसमें यही प्रस्ताव हो सकता है।

*श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपनी परेशानी इस सिलसिले में दो मिनट में निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे सामने जो प्रस्ताव हैं उस प्रस्ताव को सोलहो आना स्वीकार करना या सोलहो आना इन्कार करना, यह दोनों ही कठिन चीजें हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आपने एक व्यवस्था दे दी है और उस व्यवस्था के अनुसार ही हमको अब अपना काम करना होगा लेकिन इसके लिये भी रास्ता आप निकालें कि इसमें से जो भाग ऐसा है कि जिसको हम चाहते हैं कि रेटीफाई करें वह तो रहे लेकिन उसमें ऐसा भाग भी है जिसको हम उसमें नहीं चाहते, हम रेटीफाई करना नहीं चाहते जिसे तो उस पर हम विधान सभा का मत लोकसभा के सामने व्यक्त करना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो आप अपने भाषण में सुझाव दे सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि इस मत को परिवर्तित करने की आवश्यकता है और अगर वह परिवर्तन नहीं हुआ तो हम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे याने रैटीफाई नहीं करेंगे तो आप सरकारी प्रस्ताव का विरोध कीजिये और नहीं तो आप अपने भाषण में यह कह सकते हैं कि हम रेटीफाई करते हैं लेकिन सब्जेक्ट टु अवर आब्जरवेशन्स।' उस विधेयक में परिवर्तन करने का आप संशोधन नहीं दे सकते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान यह जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स यहां बांटी गई है उसके पेज १११ की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें वित्त मंत्री देशमुख साहब ने एक आश्वासन दिया है एक प्रकार से। श्री ठाकुरदास भार्गव साहब ने कहा था कि फूडग्रेन्स को भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाय तो उन्होंने कहा कि—

"I am not aware myself of any strong reason why food-grains should not be included. There fore, there is the likelihood of foodgrains being included in that Bill that will come before the House, provided we carry conviction to the State Goverments concerned."

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अंतर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में और इस विधान सभा में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसके पहले जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें भी लेजिस्लेचर का जिक्र आया है। तो इस सम्बन्ध में अगर आप संशोधन प्रस्तुत करने की इज जत न देंगे तो हम किस प्रकार अपने विचार व्यक्त कर पायेंगे। यह भी जरा स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि आप अपने भाषण में सुझाव दे सकते हैं। मैं इजाजत दे दूंगा उसकी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् जिस संकल्प को आज स्वीकृत करने के हेतु माननीय मुख्य मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखा है वह संकल्प संविधान के १०वें संशोधन विधेयक से सम्बन्ध रखता है। मैं नहीं जानता इसमें टेन्थ अमेंडिंग बिल लिखा हुआ है और संकल्प में ६वां संकल्प विधेयक है तो इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी बाद को स्पष्टीकरण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष— जिस समय पुरःस्थापित किया गया उसका नम्बर १०वां था और जिस वक्त वह पास हो गया उसके बाद ६वां हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी— तो श्रीमन् इस संविधान के जिस संशोधन विधेयक को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और जिस पर हमें आज राय देनी है यह अत्यन्त महत्व के विषयों के सम्बन्ध में कुछ निश्चय करना है और वह निश्चय अन्तर्राज्यीय सेल्स टैक्स लगाने के सम्बन्ध में है। भारतीय संविधान की धारा के अनुच्छेद २८३ के अनुसार हमें राज्य सरकार को या राज्य विधान सभा को इस प्रकार का अधिकार नहीं था कि हम स्वतः अपने से कोई सेल्स टैक्स दूसरे राज्य के व्यापारियों के सम्बन्ध में लगा सकें। २८६ (१) में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी राज्य किसी प्रकार के बिक्री या खरीद के सामान पर कोई भी कर नहीं लगा सकता अगर वह बिक्री या खरीद राज्य के बाहर होगी या भारतीय राज्यों के क्षेत्र में बाहर से लाने वाले माल के सम्बन्ध में होगा। स्पष्टतः संविधान में धारा २८६ (१) के अनुसार जो रखा गया था उससे अधिक एक स्पष्टीकरण रखा गया था। स्पष्टीकरण ने स्थिति को और उलझा दिया था जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मालूम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया बम्बई के यूनाइटेड मोटर्स इंडिया लिमिटेड का केस और बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड का केस था जिसके सम्बन्ध में फैसला सुप्रीम कोर्ट को स्वयं बदलना पड़ा और वह इसी स्पष्टीकरण के कारण। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि एक राज्य दूसरे राज्य के व्यापारियों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा सकता है और वसूल कर सकता है और स्पष्टीकरण को उस सम्बन्ध में उद्धृत किया और उस कानूनी उलझन में स्पष्टीकरण

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इस बात का किया गया कि एक राज्य दूसरे राज्य पर सेल्स टैक्स लगा सकता है। सम्भवतः उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होने के बाद हमारी राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों पर सेल्स टैक्स लगाना शुरू कर दिया। श्रीमन्, आपको याद होगा कि बहुत से सेल्स टैक्स आफिसर दिल्ली में नियुक्त किये गये और दिल्ली में एक आम हड़ताल इसी के विरोध में, कि दिल्ली के व्यापारियों पर यू० पी० सरकार ने सेल्स टैक्स लगा दिया, हुई थी। यह भी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के परिणामस्वरूप हुई थी।

अब ढाई साल के बाद बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को फिर बदला और यह कहा कि दूसरे राज्यों पर सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है और उसका स्पष्टीकरण २८६ (१) में दिया हुआ है उस समय दिल्ली के व्यापारियों पर सेल्स टैक्स लग चुका था। जो समस्या हमारे इस राज्य के सामने थी वही समस्या दूसरे राज्यों के सामने थी कि किन-किन सिद्धान्तों के अनुसार और कितना-कितना दूसरे राज्यों के व्यापारियों के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाय। इस सम्बन्ध में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने कुछ सिफारिशें कीं और वे इस प्रस्ताव के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस कमीशन ने यह सिफारिश की कि चूंकि इन्टरस्टेट्स सेल्स टैक्स लगाय जाना आवश्यक है लेकिन विधान की कठिनाइयों के अनुसार इस सेल्स टैक्स के लगाये जाने में दिक्कत थी इसलिये विधान का संशोधन होना चाहिये और पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह कानून बना कर अन्तर्राज्यीय सेल्स टैक्स लगावे और इस प्रकार जो आमदनी हो वह संबंधित राज्यों को बांट दी जावे, यह बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों की आमदनी को बढ़ाने के लिये एसेन्शल गुड्स ऐक्ट जो संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) के अनुसार पास किया गया था उसके समाप्त होने पर राज्य सरकारों को इस बात का पूरा मौका मिलना चाहिये कि वह जीवन की आवश्यकताओं पर भी सेल्स टैक्स लगा सकें लेकिन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने एक शर्त रखी कि ऐसे कच्चे माल पर जो कि दूसरी स्टेट में जाकर मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस में, कारखानों में पक्का माल बनाया जाकर कन्ज्यूमर की कास्ट बढ़े, तो ऐसे सेल्स टैक्स पर कुछ रुकावट लगनी चाहिये और उन्होंने ६ मदों पर सैल्स टैक्स कम करने की सिफारिश एक आना रुपया की, जैसे कोयला, आयरन स्टील, काटन, हाइड्स व स्किन्स, आयल सीड्स और जूट। राज्य सरकारों को इन पर अधिक सेल्स टैक्स बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि ये रा मैटीरियल हैं। जैसा पार्लियामेंट में भी कुछ थोड़ा सा इशारा किया गया और मुख्य मंत्री जी ने भी थोड़ा सा इशारा किया, यह आज का प्रस्ताव टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन की उन्हीं सिफारिशों को लागू करने के लिये लाया गया है। हमको देखना है कि ये सिफारिशें हमारे राज्य की परिस्थिति में कहां तक उचित बैठती हैं और कहां तक हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये और कहां तक इस बात की इजाजत देनी चाहिये कि संविधान में इस तरह का संशोधन हो। संविधान में बार-बार संशोधन होना उचित नहीं है। हम लोगों ने तो इस बात को माना कि संविधान में, समाजवादी विधान बनाने के लिये, हम भले ही आमूल-परिवर्तन कर डालें लेकिन बार-बार हर साल २, ३ विधेयक लाकर छोटे-छोटे मामलों के लिये या बड़े-बड़े मामलों के लिये अलग-अलग पीस मील संशोधन करना उचित नहीं है। खैर, यह अन्तर्राज्यीय सेल्स टैक्स का मामला है। अगर विधान में परिवर्तन करने से आम जनता का हित होता है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन जब हम इस प्रस्ताव का विश्लेषण करते हैं तो इसमें हम दो बातें पाते हैं— पहली बात तो यह है कि जहां इस प्रस्ताव के द्वारा हम पार्लियामेंट को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह अन्तर्राज्यीय सेल्स टैक्स के बारे में कानून बनाने का अधिकार ले, वहां दूसरी ओर हम संविधान की सीमा के बाहर जा रहे हैं और उन लोगों की इच्छा की अवहेलना कर रहे हैं

जिन्होंने संविधान को बनाया है। उन्होंने कहा था कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर तभी कोई राज्य सेल्स टैक्स लगा सकेगा जब वह पार्लियामेंट की अनुमति ले ले। हम इसकी अवहेलना भी कर रहे हैं तो इस प्रस्ताव के दो स्वरूप हैं। एक तो वह स्वरूप जिसको स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और दूसरे वह जो वीभत्स स्वरूप है, जिसको हमें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहिये। अब मैं इस २८६ (३) वाले मसले को और अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहले २८६ (३) इस प्रकार थी--

"286 (3) No law made by the Legislature of a State imposing, or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by Parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

लेकिन अब इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से विधान इस प्रकार हो जाता है। जो नयी धारा सब-आर्टिकिल (३) है वह इस प्रकार हो जाता है--.

"(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes or authorizes the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the sytem of levy rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify."

इन दोनों की तुलना करें तो जो पहला सब-आर्टिकिल (३) था उसमें यह था कि अगर राज्य के अन्तर्गत भी कोई राज्य सरकार ऐसी चीज पर सेल्स टैक्स लगाती है जो एसेंशियल फार दी लाइफ आफ दी कम्यूनिटी हो तो बगैर पार्लियामेंट की इजाजत के नहीं लगा सकती उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन आज इस प्रस्ताव से नयी स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसके अनुसार पार्लियामेंट कानून केवल ऐसे विषयों के लिये बनायेगी, ऐसे सेल्स टैक्स के बारे में बनायेगी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के सम्बन्ध में हो, यानी राज्यों की सीमा के अन्तर्गत कोई कानून नहीं बना सकेगी। यू० पी० में यू० पी० सरकार ही जिस पर चाहे जितना सेल्स टैक्स लगा सकती है, चाहे जितनी आवश्यक वस्तुओं पर वह लगा सकती है और पार्लियामेंट संविधान के अनुसार कोई दखल नहीं दे सकती, न राष्ट्रपति ही दखल दे सकते हैं। जो अधिकार इस सम्बन्ध में उनको था वह भी नहीं रहा। पार्लियामेंट कानून केवल ऐसे विषयों के लिये बना सकती है जो इन्टर-स्टेट व्यापार के हों और वह भी स्पेशल इम्पोर्टेंस के हों। इस प्रकार से शब्दों का भी हेर-फेर कर दिया गया है। पहले तो शब्द यह थे--

'टू बी एसेन्शियल फार दी लाइफ आफ दी कम्युनिटी' यानी जो जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुयें हैं लेकिन अब जो शब्द रख दिये गये हैं वह हैं "महत्वपूर्ण वस्तुयें अन्तर्राज्यीय व्यापार की हों" उनके सम्बन्ध में कोई भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है। वैसे तो यह कल्पना भी बड़ी अच्छी है कि इसके द्वारा राज्य सरकार की ताकतें बढ़ रही हैं, हमारे इस सदन की शक्ति बढ़ रही है कि जो चाहे टैक्स वह लगा सकता है, कम कर सकता है अथवा बढ़ा सकता है। इस प्रकार से इस सदन का अधिकार बढ़ रहा है। लेकिन हमें जहां एक ओर सदन के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये, जहां हमें सदन की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये वहां हमें संविधान के निर्माताओं के मूल निश्चय को भी न भूल जाना चाहिये। जब उन्होंने यह निश्चय किया था कि जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगाने के सम्बन्ध में अपनी सीमा के अन्दर भी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नियंत्रण में रहना पड़ेगा। विधान सभा को अपनी सीमा के अन्दर भी, अपने प्रदेश की सीमा के अन्दर भी नियंत्रित रहना है और बाहर भी नियंत्रित रहना है। यदि यह प्रस्ताव हम यहां स्वीकार कर लेते हैं, यदि हम इसका अनुसमर्थन करते हैं तो हम संविधान के मूल निर्माताओं के उस उद्देश्य का हनन करते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं। अगर आज संविधान में कोई संशोधन होना था तो संशोधन यह होना चाहिये था जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही सेल्स टैक्स लगे हुए हैं जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर। मैं मानता हूं इस बात को कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मद्रास में फूड ग्रेन्स के ऊपर सन् ३९ में सेल्स टैक्स लगा यह मुझे मालूम है, बिहार में फूडग्रेन्स के ऊपर सेल्स टैक्स सन् ४४ में लगा, यह भी मुझे मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि राज्य सरकारों को खाद्यान्नों और जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर सेल्स टैक्स लगाने में बड़ी रुकावटें हुईं क्योंकि उनको राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त करना पड़ा, उनकी अनुमति प्राप्त करनी पड़ी। यह भी सही है कि राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के सम्मुख यह मांग पेश की कि संविधान से पहले जिन राज्य सरकारों ने सेल्स टैक्स लगाया है उनके ऊपर यह कानून एसेंशियल गुड्स ऐक्ट न लागू किया जाय। उनकी यह मांग मान भी ली गयी। मेरी समझ में उचित तो यह होता कि बजाय इसके कि यू० पी० में भी एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जाय जहां पहले से मद्रास और बिहार में सेल्स टैक्स लगे हुए हैं वहां भी सेल्स टैक्स खत्म कर दिया जाता। संविधान में जहां आइटम ५३, ९२, ५४ है और आइटम ९२ (ए) भी बढ़ा रहे हैं वहां लिख देना चाहिये कि जहां तक फूड ग्रेन्स का सवाल है, जहां तक एसेंसियल वस्तुओं का सवाल है, जिनमें नमक भी है जिसके लिये हमने सत्याग्रह तक किया, एडिबिल आयल है, इसके सिवा जीवन की और भी बहुत सी आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर संविधान में इन आइटम्स को साफ कर दिया जाता तो बहुत उचित होता।

मैंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने की चेष्टा की। उसमें अनेक पार्लियामेंट के सदस्यों ने नोट आफ डिसेंट और नोट के जरिये अपनी राय व्यक्त की है कि खाद्यान्नों के ऊपर और जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के ऊपर किसी प्रकार का सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये। पंडित ठाकुरदास भार्गव, प्रोफेसर मल्कानी, प्रोफेसर चटर्जी और श्री देशमुख के भाषणों को मैंने पढ़ा। श्री देशमुख जो हमारे वित्त मंत्री रहे हैं उनकी तो यह राय है "आइ ऐम नाट अवेयर माइसेल्फ आफ एनी स्ट्रांग रीजन ह्वाई फूड ग्रेन्स शुड नाट बी इनक्लूडेड"। श्री ठाकुरदास भार्गव के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया था। श्री ठाकुरदास भार्गव आदि की तो यह राय है कि बजाय इसके कि और जगह सेल्स टैक्स लगाया जाय, जिन राज्यों में जैसे मद्रास और बिहार में जहां पहले से सेल्स टैक्स लगा हुआ है वहां भी बन्द कर दिया जाता। संविधान में इस प्रकार का संशोधन हो जाता तो बड़ा उचित होता। अब यह कहा जाता है कि जो "स्पेशल इम्पार्टेंट" शब्द है वह इतना वाइड है, उसका इतना स्कोप बढ़ जाता है कि इन शब्दों के अन्दर जीवन की आवश्यक वस्तुयें भी शामिल की जा सकती हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर ये शब्द इतने वाइड हैं तो इंटर-स्टेट सरकारों के ऊपर कोई न कोई ऐसी रुकावट रखनी चाहिये जिससे कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर इस प्रकार संविधान की मर्यादा के खिलाफ, संविधान के मूल निर्माताओं की इच्छा के खिलाफ इस प्रकार का टैक्स न लगावे। अगर इस प्रश्न पर विचार करें तो कहीं न कहीं कोई रुकावट जरूर होनी चाहिये। यह कहा जा सकता है और यह सही कहा गया है कि पार्लियामेंट ने, स्वयं केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी ऐसी वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगायी है। यह बात सही है कि जिन वस्तुओं को पार्लियामेंट ने कानून के द्वारा स्वयं जीवन की आवश्यक वस्तुएं माना है उन्हीं पर पार्लियामेंट ने

एक्साइज ड्यूटी लगायी है। मैं केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के रवैये के ऊपर कोई आरोप नहीं करता लेकिन उनके दृष्टिकोण में बड़ी दृष्टि भिन्नता रही है। जहां एक ओर राज्य सरकारों के सामने रुकावटें डालने की प्रथा सी रही है, नियंत्रित करने का रवैया रहा है और जिन सिद्धान्तों को मनवाने की राज्य सरकारों से कोशिश की गई है उनका स्वयं केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने पालन नहीं किया है और जिन राज्य सरकारों ने शिकायत की है उनका कहना बराबर सही रहा है। इससे लेकिन अर्थ यह नहीं है कि अगर केन्द्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई गल्ती की तो हम संविधान को भी उसी प्रकार तोड़ें या संशोधित करें कि जिससे हमारी जो मूल मर्यादायें हैं वही बदल जायं। अध्यक्ष महोदय, क्या इसमें समय की सीमा है?

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्ताव है, १५ मिनट हैं आपके लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—हम तो इस सम्बन्ध में अवश्य कहना चाहेंगे क्योंकि हम तो यू० पी० में स्वयं इस बात के भुक्तभोगी हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि यहां पर पिछले दिनों जिस प्रकार जीवन की आवश्यक चीजों पर सेल्स टैक्स लगाया गया और किस प्रकार यहां के लोगों के जीवन पर उसका असर पड़ा है। हम चाहेंगे कि संविधान में इस बात की कोई सूरत रहे कि कोई भी ऐसी शक्ति किसी भी राज्य सरकार के पास न रहे चाहे कहीं किसी भी पार्टी की सरकार हो। मैं केवल केन्द्रीय सरकार को ही नहीं कहता, संविधान में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन की अत्यावश्यक वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा, इसको आप स्पष्ट कर दें यह वेग न रखा जाय, एक कमेटी बिठा कर एसेन्शियल गुड्स की लिस्ट तय कर दी जाय लेकिन टैक्सेशन इन्कवायरी कमेटी के नाम पर हम संविधान में ऐसा प्रतिक्रियावादी संशोधन न करें तो उचित है लेकिन जहां तक अन्तर्राज्यीय विषय है वह ठीक है उसको हम मानते हैं। २८६ (३) के संशोधन का मैं विरोधी हूं और हम चाहते हैं कि हमारी जो एसेन्शियल कमोडिटीज हैं उन पर टैक्स न लगे क्योंकि हमारे यहां जो ५ आना, १० आना रोज पाने वाले गरीब व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी इससे, उनकी रोजी पर नमक और रोटी पर टैक्स लगेगा और वह किसी तरह से उचित नहीं है।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, विधान सभा के सम्मुख यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर कि हमें अच्छी तरह से विचार कर के अपनी राय व्यक्त करना है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके विषय में जो कुछ कहा है उससे यह प्रकट और प्रत्यक्ष है कि किस उद्देश्य से यह अधिनियम आया और विशेषकर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ वह इस प्रदेश के लिये कर रहे हैं क्या वह आगे चलकर इस सूबे के लिये हितकर प्रतीत होगा। हमारा संविधान जो है वह एक आर्गेनिक लॉ है, वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि बारम्बार या समयानुकूल या परिस्थितियों के अनुकूल आप उसको बदलते रहें, जब तक कि उसके लिये ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो गई हो कि संविधान का संशोधन बहुत ही जरूरी हो गया हो। जैसा कि मैंने कहा वह तो एक आर्गेनिक लॉ है, उसके बारे में अधिक न कहकर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह स्वयं बुद्धिमान, है समझदार हैं, उनको हर चीज का परिज्ञान है। वह इसके विषय में जरा सोचें कि क्या यह भारत के लिये शोभा देता है कि इस तरह से फंडामेंटल लॉ और आर्गेनिक लॉ में हर साल दो तीन संशोधन लाये जायं और उसके द्वारा उसकी पवित्रता नष्ट भ्रष्ट की जाय। मान्यवर, मैं समझता हूं समयाभाव की वजह से संभवतः आप मुझे अधिक समय न दें, इसलिये मैं उस विषय पर आना चाहता हूं। कांस्टीट्यूशन के संबंध में मैंने अनेकों बार यह अपना विचार प्रकट किया है और बहुत से लोग इसके विषय में कह चुके हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

केंद्रीय सरकार इस पर कोई अधिक ध्यान नहीं देती है। मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पहले वह यह सोचें कि जब कि आर्टिकिल २६९ में संशोधन हो रहा है जिसके द्वारा इंटरस्टेट सेल्स टैक्स एक यूनियन लिस्ट की चीज होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उस कर को वसूल करके प्रदेशीय सरकारों को दे देगी। मान्यवर, मैं इसके विषय में यह अवश्य कहना चाहता हूं कि एक ऐसा गम्भीर प्रश्न है जो कि आज नहीं तो किसी समय भी यह उठ सकता है कि इसके पीछे प्रिन्सिपल क्या है? मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं केवल दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं। आर्टिकिल २६९ में है:—

"269 (3)Parliament may by law formulate principles for determining when a Sale or purchase of goods takes place in the course of inter State trade or commerce."

अब श्रीमन्, यह प्रिन्सिपल क्या होगा इसके बारे में अधिक अंधेरे में हैं। एक सिद्धांत होगा और उस सिद्धांत के आधार पर हमको इन करों का रुपया वसूल होगा। यह ठीक है कि आज माननीय मुख्य मंत्री को यह कठिनाई हो रही है कि इस तरह की रकमें जो हैं उनको नहीं प्राप्त हो रही हैं। यह ठीक है कि एक आशावादी के नाते इस उम्मीद से कि हमको रुपया जल्द से जल्द मिल सके वह इस रास्ते को अपना रहे हैं। परन्तु श्रीमन्, कम से कम हमको यह मालूम होना चाहिये कि यह कौन सा प्रिन्सिपल होगा, इसके बारे में हमें अंधकार में नहीं रहना चाहिये था और जिसके जरिये हम यह समझ सकें। यदि इन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो उससे हमारी सरकार को लाभ पहुंच सकता है। मान्यवर, यह ठीक है कि एक सिद्धांत बनेगा और जिसके जरिये यह डिटरमिन होगा कि हमको उसमें से कितना पाना है। मगर वह क्या सिद्धांत है वह हमारे सामने नहीं है। आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को चेतावनी दूंगा कि संभवतः आज यह बहुत प्रिय लग रहा हो लेकिन हो सकता है कि यही सिद्धांत जो आज अंधेरे में रह कर आप स्वीकार करने के लिये तैयार हों परन्तु भविष्य में चल कर यह आपको स्वीकार न हो। मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि आर्टिकिल २८६ में केंद्रीय सरकार का यह नियंत्रण होगा कि हमारे प्रदेश में जो रा मैटीरियल्स पैदा हों उस पर वह देखेगी कि किस तरह से सेल्स टैक्स लगाया जाता है और यही नहीं मैं केवल एक, दो लाइन आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं जिसकी अहमियत माननीय मुख्य मंत्री जी भी समझ लें—

"(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes, or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify"

मैं आपका भी और मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लफ्ज जो यहां 'स्पेशल इम्पार्टेंस' है इस पर भी उनका ध्यान होना चाहिये। यह इतना वेग है, इतना वाइड है कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जा सकत है और साथ ही साथ श्रीमन्, उनका नियंत्रण जो होगा वह रेट्स पर होगा। सिस्टम पर, लेवी पर होगा अदर इंसीडेंस पर होगा। तो जब इतनी खतरनाक और भयंकर वस्तु एक यहां विद्यमान है तो क्या मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह दरियाफ्त कर सकता हूं, उनसे निवेदन कर सकता हूं कि क्या आप सहमत हैं उनसे कि आपके अधिकार का अपहरण केन्द्र के द्वारा किया जाय। यह ठीक है कि आज आपकी सरकार है। यह भी मुमकिन है कि आज आप सूबे में हैं, आपका बहुमत यहां है और केन्द्र में भी आपका बहुमत है परन्तु कल ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि केंद्र में तो बहुमत हो आपका लेकिन यहां आपको वह सौभाग्य प्राप्त हो जो आज मुझे प्राप्त है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या आप इसे पसन्द करेंगे? कांस्टीट्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रोज बदला जा सके या एक साल या दो साल के लिये उसका प्रबन्ध करें। वह यह हो सकता है

जैसा मैंने आपको एक कांक्रीट उदाहरण दिया। श्रीमन्, कि आपके उत्तर प्रदेश में एक तरह की सरकार हो सकती है, केंद्र में दूसरे तरह की सरकार हो सकती है और बहुत संभव है कुछ दिनों के बाद आप यूनियन से भागते हुए नजर आवें तो इन सब चीजों का परिणाम क्या होगा ? यह वह अंकुर बोया जा रहा है, वह बीजारोपण किया जा रहा है जो कि भविष्य में चलकर इस प्रदेश और भारत के लिये भयानक प्रतीत हो सकता है। आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति को वह बहुत सरल न समझें। हो सकता है कि जो चीजें आज हम नहीं सोच सकते हैं वह हमें दृष्टिगोचर हों, उनका हमें सामना करना हो, उनको हमें झेलना हो।

मान्यवर यह आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी को जो है, उनको जो संतोष है वह केवल यह है कि उनको माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जब कभी इस प्रदेश के बारे में वह कोई नियम अधिनियम, या कोई भी तरीका वह अख्तियार करेंगे तो इस प्रदेशीय सरकार से सलाह लेंगे, उनकी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। लेकिन श्रीमन्, इस एश्योरेंस का क्या सवाल पैदा होता है ? आज जो मिनिस्टर महोदय हैं सेंटर में या आज जो वहां पार्टी है वह कल को न रहे तो क्या लीगल सेंक्शन उस एश्योरेंस के पीछे है ? हो सकता है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय मैं तो समझता हूं कि इस समय भी एक एश्योरेंस से वह सम्भवतः प्रसन्न हो लेकिन यह हो सकता है कि जब उसकी रूपरेखा उनके सामने आवे तो मैं इसको गौरव के साथ कह सकता हूं इसमें मुझे गौरव भी है कि मुख्य मंत्री महोदय हमारे, उन मुख्य मंत्रियों में से नहीं हैं जो केंद्र को सदैव प्रसन्न करने के लिये जो कुछ भी अनुचित हो उसको कर डालें। उन्होंने टक्करें ली हैं। आज बहुत सी चीजें उन्होंने इस प्रदेश में की हैं जो यदि वह न होते तो कभी न होतीं। और यह मैं अपोजीशन की तरफ से कह रहा हूं। यह नहीं है कि मुझे उनकी खुशामद से कोई लाभ हो सकता है। लेकिन यह जरूर है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस सरकार के पीछे जिस एश्योरेंस के पीछे आप निर्भर हैं जब रूपरेखा उसकी आवे तो आप तिलमिला उठें, आपको वह स्वीकार न हों। जो प्रतिबन्ध लगाये जायं, वह संभवतः आपको कभी स्वीकार नहीं हो सकते हैं। परिणाम उसका क्या होगा ? यह ठीक है, हो सकता है श्रीमन्, कि जब तक कि भारत में कोई जीव ऐसा हो जिसको कि हम भगवान मान लें या भगवान मानते हों जिसको कि हम, जिसको एक अवतार समझते हों, जब तक ऐसा कोई व्यक्ति यहां हो तब तक कुछ न हो। लेकिन श्रीमन्, प्रजातंत्र में यह बहुत दिन नहीं चल सकता। मैंने बहुतों को देखा। एक वक्त था कि जब च्यांकाई शेक भी एक अवतार माना जाता था। वह भी एक वक्त था जब कि वह हिटलर, स्टालिन चर्चिल से भी बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाता था। लेकिन आज उनके बारे में क्या देखा जा रहा है ? हम यह समझें कि जिस प्रकार आज हमको गौरव है, उसमें एक परिवर्तन हो सकता है और यदि होता है तो ऐसी परिस्थिति में समझता हूं कि वह आश्वासन और वह सब चीजें जोकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज दे रहे हैं वह चल कर एक ऐसी कठिन वस्तु बन जाय जिसका कि पार करना उनके लिये दुष्कर हो जाय। मान्यवर, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। न मेरा इरादा प्रोपैगेंडा स्पीच का है और न उसकी मेरिट में जाना चाहता हूं कि क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, मैं तो आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री का ही ध्यान आकर्षित करना उनको उचित चेतावनी देना और ऐसे समझदार आदमी के लिये सही मार्ग इंगित करना अपना मुख्य कर्त्तव्य समझता हूं। हो सकता है कि हमारे बहुत से सम्मानित सदस्य हंसते हों और यह समझते हों कि यह कहां की दूर की बात है, मुमकिन है यह सेल्फ आइडियालोजी हो और वस्तुस्थिति से इसका कोई संबंध न हो, लेकिन संसार में बहुत सी ऐसी चीजें कही जाती है जो कि सर्वथा अनुचित प्रतीत होती है, लेकिन काल और युग के परिवर्तन में वही चीजें वास्तविकता का जब रूप ग्रहण कर लेती हैं तो उस समय मैं मान सकता हूं कि जो लोग आज हंसते हैं, जो आज मुझ से सहमत न हों, लेकिन एक समय आ सकता है जबकि विधान सभा का हर एक माननीय सदस्य यह कह सके कि जो कुछ मैंने आज कहा है वह सच निकला।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

माननीय सदस्यों को यह शिकायत थी यू० पी० सरकार को अधिकार बहुत दिये जा रहे हैं, लेकिन अधिकार देने से मुझे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो मुझे तब हो सकती है जबकि उसका अपहरण हो या उसमें किसी तरह की संकीर्णता या न्यूनता आती हो या अधिकारों का दुरुपयोग होता है। तो मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री या सरकार की आंख खोल सकता हूं या बता सकता हूं कि अगर सदन काफी नहीं है तो जनता में, कोने कोने में यह आवाज उठ सकती है, लेकिन जब हमारा अधिकार एक बार संकीर्ण होता जाय और हम उसके लिये दुर्भाग्य को कोसते रहें तो ऐसी परिस्थिति में केवल आपकी आज्ञा से उसका घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान रखेंगे।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन प्रस्तुत करने खड़ा हुआ हूं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने बहुत सी चेतावनियां दीं, बहुत से खतरे हमें दिखलाये। मैं उनकी सारी चेतावनी, और उनके सारे खतरों के कोई वजन को नहीं समझ सका। आखिर वह क्या खतरा है? हमारा देश, जिसकी कि इकाई में हम विश्वास करते हैं, जिसमें हम सारे देश में सारे प्रदेशों को एक कार्डिनेट करके एक ठिकाने सारे देश की शक्ति का विश्वास करते हैं, उस समय यदि देश के कार्य के लिये देश में एक सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये यदि प्रदेश की कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार हम केंद्र के लिये समर्पित ही करने पड़ें तो मैं समझता हूं इसमें हमें जरा भी संकोच नहीं होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन व्यक्तियों में हूं जो प्रदेश के विकेंद्रीयकरण में एक हद तक विश्वास रखते हैं, परन्तु मेरा ख्याल यह है कि हमें देश के मजबूत करने के लिये देश की केंद्रीय शासन व्यवस्था को अधिकाधिक मजबूत करना चाहिये। मेरे माननीय मित्र ने जो यह ध्यान हमारी तरफ दिलाया कि हो सकता है कि कल कांग्रेस की शासन व्यवस्था केंद्र में न रहे या दूसरी पार्टी आ जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसे काल के लिये यह हो सकता है कि देश व्यक्ति और पार्टी से कहीं अधिक ऊंचा है और इसलिये हमें उन परिस्थितियों का ध्यान रखना है कि जब देश में या प्रदेश में अनेकताएं आ जायं तो देश मजबूत किन परिस्थितियों में रह सकता है। मैं तो जहां तक समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में यदि केंद्र में और दूसरे प्रदेशों में अलग अलग पार्टीज की सरकार हों। उस समय वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मुझे तो केवल इस बात की चिन्ता है कि हमारे देश की और अन्य प्रदेशों की सरकार की शासन व्यवस्था में कोआर्डीनेशन चलता रहे। इस स्थिति में मैं समझता हूं कि इस तरीके का जो विधेयक हमारे केंद्रीय संसद में आया है, वह ऐसा है कि हमें उसके ऊपर खुशी होना चाहिये।

श्रीमन्, आपको मालूम है कि बिजनेस के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय दिक्कतों से एक बड़ी बेचैनी है और उनको इंटर स्टेट व्यापार में बड़ी कठिनाई मालूम होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस व्यवस्था से वह कठिनाई दूर होगी। ऐसी व्यवस्था का मेरे ख्याल से स्वागत होना चाहिये जैसा कि मुख्य मन्त्री ने कहा कि इस विधेयक के चार प्रभाव पड़ेंगे। एक व्यवस्था तो वह होगी कि जो अन्तर्प्रदेशीय व्यापार होगा। उस पर प्रदेश को सेल्स टैक्स लगाने और वसूल करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें जो कुछ भी कठिनाइयां थीं उसकी मुख्य मंत्री जी ने चर्चा की है।

इसके बाद यह कि कौन सा ट्रांजेक्शन इन्टर स्टेट माना जायगा इसके संबंध में कहा कि जो कार्य जिस प्रदेश में हो और जिसका कम्जम्पशन उसी प्रदेश में किया जाय उस पर प्रदेशीय सरकारों को पूरा अधिकार होगा कि वह जिस तरीके से चाहे सेल्स टैक्स लगाये और वसूल करें। उसके बाद दूसरी चीज पर असर पड़ता है कि वह विषय प्रदेशीय सरकार से हटकर केंद्रीय सरकार पर आ जाता है और मैं समझता हूं कि अनेक प्रदेशों में संघर्ष हो सकता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा ख्याल यह है कि यह बड़ी अनुकूल व्यवस्था है जिसे केंद्रीय सरकार के हाथ में आना चाहिये । श्रीमन्, मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जो हमें थोड़ा सा इससे और आगे जाना चाहिये ।

आपको मालूम है कि इस समय व्यापार जगत में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यूनिफारमिटी सेल्स टैक्स में नहीं है । मैंने व्यापारियों से तथा चेम्बर से बातें की हैं और लोगों ने सबसे बड़ी कठिनाई यही बतलाई है कि निर्माण कार्य के लिये व्यापारियों को दंड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । केवल हिचकिचाहट है तो यह है कि सेल्स टैक्स विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न धाराओं पर लगाया गया है । दो प्रदेशों के बीच में जो जिले हैं उनको तो इस व्यवस्था से कि एक प्रदेश में सेल्स टैक्स किसी चीज पर हो और दूसरे प्रदेश में न हो या कम हो, बड़ी दिक्कत होती है । ऐसी हालत में व्यापारी जहां कम सेल्स टैक्स होता है वहां से खरीदारी करता है । मैंने एक बार कहा था कि कभी कभी ऐसे केसेज भी दिखलायी दिये, जैसे चीनी का मामला है कि एक व्यापारी जिसे मेरठ के लिये चीनी चाहिये तो वह मेरठ के नाम से चीनी नहीं खरीदेगा क्योंकि वहां उसको ज्यादा सेल्स टैक्स देना पड़ता है वह दिल्ली के नाम से खरीदता है और पहले उसको दिल्ली ले जाता है और वहां से फिर मेरठ ले आता है और इस तरह से टैक्स की बचत कर लेता है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ना चाहिये और वह यह कि सेल्स टैक्स से जितनी आय हो उसकी व्यवस्था जैसे इन्कम टैक्स की होती है कि वह हर प्रदेश को उसकी होती है कि वह हर प्रदेश को उसकी आय के अनुसार बांट दिया जाता है उसी तरह से सेल्स टैक्स के वसूल करने का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा हो और केंद्रीय सरकार उसको उत्पत्ति के स्थान से ही वसूल कर ले ताकि आगे चल कर जो इवेजन होता है, जो लोगों में बेईमानी करने की प्रवृत्ति होती है, जो नये नये बहीखाते रखने की प्रवृत्ति लोगों में पैदा होती है और यह परिस्थीत पैदा होती है कि ईमानदार व्यापारी नष्ट होता है और बेईमान व्यापारी पनपता है, वह न हो, और उसके बाद प्रदेशीय सरकारों को उनके अनुपात के अनुसार बांट दे । मेरे ख्याल से इससे पैसा भी मिल जायगा और जो असंतोष आज हमें दिखलायी देता है, जो छोटे छोटे दुकानदार आज चिल्ला रहे हैं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वे सही तरीके से हिसाब को रख सकें, ये सब कठिनाइयां भी दूर हो जायंगी ।

एक बात का मैं और समर्थन करता हूं जो इस बिल में है । वह यह है कि किसी भी चीज पर एक प्रदेश इतना टैक्स नहीं लगा सकता कि दूसरा प्रदेश उस चीज को ले ही न सके । मिसाल के लिये जैसे हम उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं । ईश्वर करे हमारा प्रदेश उद्योग में ऊंचा उठे । लेकिन उसके साथ ही थोड़ी देर के लिये समझ लीजिये कि विन्ध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा हमारे प्रदेश को न मिले और उसका बहुत सा रा मैटीरियल हमको लेना पड़े और नये प्रदेश की सरकार उस पर इतना टैक्स लगा दे कि वह रा मैटीरियल हमारे यहां न आ सके तो मैं समझता हूं उससे हमारे उद्योगों को प्रगति करने में एक धक्का लगेगा । इससे एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में एक द्वेष की भावना पैदा होती है । तो मैं समझता हूं यह उचित ही किया गया है कि ऐसे माल पर जो दूसरे प्रदेशों के लिये आवश्यक है उसमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप रहे ।

माननीय मुख्य मंत्री जी से जान कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि केंद्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऐसा कोई भी टैक्स लगाया जाय या न लगाया जाय, लगाया जाय तो किस रेट से लगे, किस तरह वसूल हो सके इसकी व्यवस्था करने से पहले वह प्रदेशीय सरकार से उसका सलाह मशविरा ले लेगी । मैं समझता हूं कि इससे प्रदेशों के हितों में जो कमी होती थी उसकी परिस्थिति नहीं रह गई । उस प्रदेश को अधिकार होगा कि वह अपनी सारी कठिनाइयों को केंद्रीय सरकार के सामने रख सके । तो मैं तो समझता हूं कि इस विधेयक से जो संसद में पास हुआ है बहुत लाभ होने की संभावना है । श्रीमन्, आपने व्यवस्था की कि इसमें कोई संशोधन नहीं उपस्थित किया जा सकता है केवल सुझाव दिये जा सकते हैं मैं उसे तो स्वीकार करता हूं लेकिन इस संबंध में

[श्री देवकीनन्दन विभव]

मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि अब हमको थोड़ा और आगे जाना चाहिये और जो प्रदेश की कठिनाइयां हैं और उनमें आपस में जो संघर्ष हो सकता है कमर्शल इंटेरेस्ट्स को ले करके वह दूर हो सकता है इसके लिये केंद्रीय सरकार और अधिक अधिकार लेना चाहे तो उसका विरोध हमें नहीं करना चाहिये। मुझे इतना ही कहना है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। भारत के संविधान में यह पहले ही रखा जा चुका था कि दो प्रांतों में अन्त व्यापार हो तो उसमें कर लगाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को ही होगा। यह विशेष रूप से आर्टिकिल २८६ में स्पष्ट कर दिया गया है। जो कुछ झगड़ा पड़ा वह आर्टिकिल २८६ की परिभाषा के संबंध में पड़ा। पहला सुप्रीमकोर्ट का फैसला एक तरफ था और उसके बाद जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ अर्थात् स्टेट आफ बाम्बे वरसेस दि यूनाइटेड मोटर्स, उसमें यह कहा गया कि जहां इन्टर-स्टेट कामर्स के टैक्स का सवाल है वहां प्रांतीय सरकारों को कोई अधिकार नहीं है। उसका फल वह हुआ जो मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि पिछले साल भर से ज्यादा हुआ होगा कर बिलकुल ही नहीं लगाया जा रहा है। श्रीमन्, इस संकल्प में जिस संशोधन का जिक्र किया गया है वह कोई नई बात नहीं रखता। मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन जो भारतीय संविधान में केंद्र ने किया है वह उसी अधिकार का स्पष्टीकरण करता है जो कि पहले ही संविधान में दिया जा चुका है अर्थात् इंटर-स्टेट कामर्स के बारे में संविधान में यही संकेत था कि इसकी व्यवस्था केंद्र ही करेगा। जो कुछ झगड़ा पड़ा वह एक्स्प्लेनेशन की परिभाषा से पड़ा और उस एक्सप्ले-नेशन का स्पष्टीकरण जब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो यह आवश्यक हो जाता था कि संविधान की परिभाषा को भी साफ किया जाय टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन के सामने भी यह समस्या थी। अब जो संशोधन हुआ है और जिसका समर्थन हमारे इस सदन में इस संकल्प के द्वारा मांगा जा रहा है उसमें दो तीन बातें रखी गई हैं। उस आर्टिकिल २८६ के एक्सप्लेनेशन को निकाल कर नयी क्लाजेज जोड़ी गई हैं जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि जहां पारस्परिक व्यापार हो उसमें कर लगाने का अधिकार केन्द्र को होगा और उसमें जितने मत-मतांतर थे वह साफ कर दिये गये हैं। उसी के साथ ही साथ आर्टिकिल २६९ के अन्दर एक क्लाज बढ़ाया गया है जिसके द्वारा यह स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि इससे जो रुपया केंद्रीय सरकार के पास आयेगा वह प्रांतीय सरकारों में बांट दिया जायगा। श्रीमन्, इसमें यह सोचना कि प्रांत के अधिकारों में कमी की जा रही है या हमारे हाथों को बांधा जा रहा है यह मुनासिब न होगा। जैसा मैंने निवेदन किया कि जहां तक पारस्परिक व्यापार का संबंध है उसके अन्दर ऐसी बहुत सी बातें आ जाती हैं, ऐसी उलझनें पैदा हो जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों के व्यापार, उनकी उपज और खपत के प्रश्न आ जाते हैं कि जिसके कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उसका इन्तजाम और कर लगाने की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के हाथ में हो और संविधान में भी यही रखा गया है। सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के कारण, उसके अर्थ की परिभाषा के कारण, यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ और अब जो संशोधन हुआ है वह इसको बिलकुल साफ कर देता है कि इसका अधिकार केंद्र को रहेगा, केंद्र की सरकार को रहेगा और इसकी जो कुछ आमदनी होगी वह प्रांतों में बांटी जायगी। श्रीमन्, मैं इस संबंध में ज्यादा न कह कर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है और जो संकल्प रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री पद्मनाथसिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य केवल इंटर-स्टेट बिक्री-कर को यूनियन लिस्ट में शामिल करना मात्र है। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात् व्यापार का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस प्रकार निरन्तर बढ़ाव होता जा रहा है इसमें कोई संदेह नहीं कि उस बढ़ते हुये व्यापार में कांप्लीकेशन्स भी उत्पन्न होते जायेंगे और उनके परिणामस्वरूप हमारे अनुभव संविधान में संशोधन के लिये हमें विवश करेंगे। यह कोई नयी बात नहीं है और जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि विधान में पहले से ही इस बात की व्यवस्था भी है कि हम अपने अनुभवों के बाद विधान में परिवर्तन और परिवर्द्धन करते जायंगे। श्रीमन्, इस देश में व्यापार का जो सिलसिला जारी है यूनियन को इस बात का एहसास होना अनिवार्य सा प्रतीत होता है कि प्रदेश को जो अधिकार प्राप्त है कर लगाने के वे अधिकार उसकी सीमा में सीमित हों और निश्चय ही इस ओर इस प्रदेश के बाहर जो व्यापार होता है दूसरे प्रदेश में उसका कर न तो इस प्रदेश को ही मिल पाता है और न दूसरे प्रदेश को ही। केन्द्र भी उस कर को वसूल नहीं कर पाता था जो कर वसूल होना चाहिये था और जो निश्चय रूप से केन्द्र या प्रदेश के फंड में शामिल होता। इस संशोधन से केवल एक ही दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है कि वह जो कर वसूल होता और जो बिक्री का कर जाता था जिसमें अधिकारियों को एक बड़ा भारी झगड़ा पड़ जाता था उसकी ओर यह संशोधन इशारा करता है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट एक एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट है। इसमें कोई निश्चय नहीं है। इसमें देश में व्यापार की वृद्धि के सिलसिले में जो भी अड़चनें और परेशानी पैदा हो जाती हैं उसमें प्रदेशों में कोई दिक्कत डालने का यह उनका कोई इरादा नहीं है बल्कि प्रदेश के अधिकारों को और अधिकारों के साथ उनके फंड को बढ़ाने की व्यवस्था है।

हमारे माननीय सदस्य नारायणदत्त तिवारी और अवधेश प्रताप सिंह जी ने कल्पना के आधार पर जो अड़चन की बात कही है उनका कोई आधार नहीं है। उनको कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है कि इस संशोधन की बातों में कुछ कहें और उनकी इन बातों को सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। चाहे केंद्रीय सरकार हो या स्टेट की सरकार हो उनमें जिनका बहुमत है तो निश्चय ही उस अपनी बुद्धि और नीति के अनुसार जो काम होगा, उसको वह करेगी और उसके अनुसार ही चलती चली जायगी। जब उनकी सरकार आयेगी तो वह भी अपनी नीति के अनुसार और अपनी बुद्धि के अनुसार जिस चीज़ को सही और उचित समझेगी उसको करेगी और जो उनकी समझ में आयेगा वही वह करेगी। इसलिये इसमें बहुत अड़चन, बहकने या परेशानी महसूस करने की गुंजाइश नहीं है और न बहस में उलझने की गुंजाइश है। यह तो बहुत सीधी सादी सी बात है। जो प्रदेश जो कर वसूल कर सकते थे और जो यूनियन लिस्ट में हैं उसी के लिये यह संशोधन किया जा रहा है। टैक्सेशन इन्कावयरी कमीशन की रिपोर्ट और विभिन्न प्रकार के फैसलों का जो परिणाम उत्पन्न हुआ है उससे भी इस बात का उद्देश्य हो सकता है कि उनको स्पष्ट किया जाय। जो विधान की धारा का आर्टिकिल है उससे इस बात की परेशानी दूर नहीं हुई कि एक प्रदेश के अन्दर, इन्टर स्टेट कामर्स टैक्सेशन के लिये कौन सी व्यवस्था जारी रहे। एक हाईकोर्ट का एक फैसला और दूसरे का दूसरा फैसला जब हो तो उस समय बिलकुल आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार उसके विषय में एक स्पष्ट कानून और विधान बनाये और उसको स्पष्ट करे। मैं समझता हूं इसमें न तो कोई परेशानी की बात है और न परेशानी है।

एक बात की तरफ इशारा यहां पर किया गया मैं भी कोई ज्यादा उस पर नहीं कहना चाहूंगा किन्तु इस प्रकार का जो खंड है कि जो रुपया इस प्रकार से मिले उस रुपये को इन्टर-स्टेट डिस्ट्रिब्यूशन उचित रीति से होना चाहिये। कभी-कभी इस बात की परेशानी स्टेट को हो जाती है कि जो रुपया आता है उस रुपये का ठीक रूप से वितरण नहीं होता है। उस रुपये का वितरण कभी किसी स्टेट को अधिक मिल गया और किसी को कम मिल गया तो उसका ठीक वितरण नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन्टरस्टेट के बटवारे में कोई गड़-बड़ न हो। मैं तो समझता हूं कि हमारी तरफ से उसको मांग लेना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत साधारण सा संशोधन है और न तो यह किसी के हक़ पर, न किसी विधान

[श्री पद्मनाथसिंह]

की धारा पर और न किसी की कल्पना पर यह आघात करता है और न इससे किसी तरह की परेशानी होती है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सदन के अन्दर उसका समर्थन करता हूं। हमारे भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया है मैं समझता हूं कि देश के कल्याण के लिये हमारे महान् पंडितों ने उसको भेजा है। उनका जिक्र मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ा है। जो विचार, इसमें व्यक्त किये गये हैं वह बहुत सोच समझ कर व्यक्त किये गये हैं। मैं जिस समय सदन में बैठा था तब अवधेश प्रताप सिंह बोल रहे थे। मैंने देखा कि ये बड़े-बड़े लोग इस टैक्स से क्यों घबराते हैं। मान्यवर वह भी राजा खानदान से लग रहे हैं और मैं भी बस्ती को बिलांग करता हूं। मैं कल जब आ रहा था तो राजा साहब फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठे हुये थे और मैं भी वहां पर बैठा हुआ था। उन्होंने एक जुमला कह दिया कि टोपा लगा कर आप लोगों ने तमाम टैक्सेशन लगा दिया। पिछले साल सारी फसलें खराब हो गईं लेकिन आपने एग्रीकल्चरल टैक्स हमारे ऊपर धर दिया। आप लोग यूं ही घबराते हैं कि यह गवर्नमेंट बिलकुल टी० बी० के जर्म्स की तरह इनसे धीरे-धीरे वसूल कर रही है। सरकार ने कोई हैजा नहीं डाल दिया कि सब कुछ एक ही दिन में छीन ले। तो गवर्नमेंट विदाउट टैक्सेशन (no government without taxation) अगर इस देश का कल्याण करना है तो टैक्स लगाना होगा चाहे कोई सोशलिस्ट हो या कैपिट्लिस्ट हो या ब्राह्मण हो, चमार हो सबको बरदाश्त करना होगा। मैं आंखों देखी बात कहता हूं। अमरीका का दूध हमारे यहां बंटता है, बड़े से बड़े घरों के लोग अपने नौकरों को भेजकर, मंगाकर इस्तेमाल करते हैं। उसके फोटो लिये जाते हैं और अमरीका में, दूसरे देशों में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मैं नेहरू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया है कि इसे बन्द करो, हम पत्ती खाकर रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं अवधेश प्रताप जी से जो हमारे सामने बैठे हैं कि सन् ४७ से लेकर आज तक उन्होंने इस देश का मालिक होते हुये भी कौन सा सुन्दर विधान बनाया है और कहां हमको टैक्स से छोड़ दिया। मैं तो गांव का रहने वाला हूं और चमार का बेटा हूं। कितना जुल्म और सितम है कि मरे हुये चमड़े के हमसे दाम लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--अब आप संकल्प पर आ जाइये।

श्री शिवनारायण--उसी से संबंधित है। अवधेश प्रताप जी ने कहा कि अगर मैं होता तो नहीं बदलता। एकोब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हम यह दावा नहीं कर सकते हैं और न नेहरू जी कर सकते हैं। कल वह नहीं रहेंगे तो हम उनके घर के मालिक होंगे और फिर हमारे बच्चे मुमकिन है कि आज गेंदासिंह वहां हैं तो कल यहां आ जावें लेकिन यह हम कैसे कह सकते हैं कि यही होकर रहेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता के अनुसार हम संविधान को बदलेंगे और अपने कार्य को ठीक तरह से चलावेंगे। विभव जी ने कहा कि छोटे-छोटे बनिये, छोटे रोजगार वालों को बड़ी परेशानी है। लेकिन सरकार ने १२ हजार से ऊपर वालों के लिये टैक्स रखा है। परन्तु जो ४ पैसा का सौदा बेंचता है वह भी हमसे टैक्स ले रहा है, हम होटल में रोटी खाते हैं तो वह भी १ पैसा ले लेता है और हम देते हैं। १७ मई को माननीय पंडित पंत से हम लोगों ने बातचीत की थी और उनका भी विचार है कि टैक्सेशन देश के अन्दर एक-सा लगा दिया जाय। इसलिये हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने ठीक कहा है कि प्रदेशीय सरकार को अधिकार रहे कि वह लगावे। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर अपनी चीज को खरीद कर कलकत्ते में बेंचे तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स नहीं लगावेगी और कलकत्ता वाला यहां भेज कर माल की खपत करता है तो उस पर कर लगेगा, इसमें कौन सी आपत्ति की बात है। जहां माल की खपत होगी वहां

टैक्स लगेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट सुन्दर है। समय तो बदला ही करता है। हम ब्रह्मा नहीं हैं और फिर भगवान का नियम भी तो बदला करता है, सारी सृष्टि बदलती है। सुबह सूर्य निकलता है, शाम को अस्त होता है।

(इस अवसर पर श्री अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री को भाषण करने के लिये पुकारा)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, हम भी कुछ इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं तो माननीय मुख्य मंत्री को पुकार चुका हूं लेकिन अगर किसी को बहस जारी रखने में कोई आपत्ति न हो तो आप बोल सकते हैं।

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

अब आप बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह संकल्प जो केंद्रीय ऐक्ट है उसके समर्थन के लिये है जिसमें कि २८६ और २६९ अनुच्छेद का संशोधन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। माननीय मंत्री जी अपने संकल्प के द्वारा चाहते हैं कि यह सदन रेक्टीफाई करे। इस संबंध में जो कि आज पार्लियामेंट संशोधन कंस्टीट्यूशन में करना चाहता है और जिसको इस सदन के द्वारा स्वीकार कराना माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रयत्न है उस संबंध में हमको यह देखना चाहिये कि अगर यह संशोधन पास हो जाता है तब क्या असर पड़ेगा, अगर यह पास नहीं होता है तब क्या असर पड़ेगा। देखा जाय तो पार्लियामेंट में जो स्टेट का शेड्यूल है उसमें दो धारायें जो कंस्टीट्यूशन की हैं उसमें संशोधन करने की बात है। एक धारा तो २६९ है और एक धारा २८६ है। तो २६९ और २८६ धाराओं में पहले क्या बात थी और अब क्या बात है। बिक्री कर के बारे में जो अन्तरप्रांतीय व्यापार होगा उस संबंध में यह परिवर्तन किया जा रहा है। और उसी के साथ-साथ कुछ अधिकार जो अभी तक प्रांतीय सरकारों को संकुचित रूप में थे वे अधिकार बढ़ाये भी जा रहे हैं और केंद्र के लिये एक समान अन्तर प्रांतीय खरीद-फरोख्त पर बिक्री कर लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इससे क्या फायदा होगा? जैसा कि सुबह माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा था कि अगर हम २८६ की तीसरी धारा को देखें तो तीसरे खंड में यह साफ लिखा हुआ है:—

"No law made by the Legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

श्रीमन्, इंगलिश की किताब मेरे पास है। इसमें यह बात साफ कही गयी है कि अगर किसी जीवन के लिये आवश्यक सामग्री पर कोई प्रांतीय सरकार बिक्री कर लगाने की बात सोचे तो प्रांतीय सरकार का सोचना या प्रांतीय विधान सभा द्वारा उस नियम या कानून का पास हो जाना ही अंतिम नहीं होगा। एक प्रतिबन्ध इसमें रखा गया है कि पहले उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी चाहिये और राष्ट्रपति की जब उसमें अंतिम रूप से मुहर लग जाय तभी वह कानून कार्यान्वित होगा। अब इस संशोधन को दूसरे रूप से रखा जा रहा है। यह

[श्री राजनारायण]

रूप जो रखा गया है उसको यदि देखा जाय तो जो हमारे पास कंस्टीट्यूशन का छठवां अमेंडमेंट है जो १९५६ का अमेंडमेंट कहा जायगा इसमें कहा जाता है कि

"(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes, or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy rates and other incidents of the tax as Parliament may be law specify."

पहले जो २८६ की (३) उपखंड था अब उसकी जगह पर जो उपखंड (३) होने जा रहा है वह स्पष्ट कहता है कि कोई भी राज्य सरकार यदि अब चाहे तो अपने राज्य के अन्दर, जिन-जिन सामग्रियों पर चाहे बिक्री कर लगा सकती है यद्यपि वह "आफ स्पेशल इम्पार्टेंस" की वस्तुयें पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर नहीं की गई हैं। पहले जिस तरह से धारा जा रही थी वह जीवन की आवश्यक सामग्रियों के विषय में राज्य सरकार के हाथ बांधती थी लेकिन अब की धारा राज्य सरकार को इस बात के लिये छूट दे रही है, इसमें बड़ी गुंजाइश है। मुझे नहीं मालूम जैसा कि अभी तक माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि उनके सामने इस वक्त कोई जानकारी नहीं है कि जैसे गल्ला है, वह एक स्पेशल इम्पार्टेंस की चीज मानी जायगी या नहीं। जीवन की मौलिक आवश्यकताओं में गल्ले की गिनती मानी जाती है इसलिये यदि गल्ले के ऊपर यह सरकार बिक्री कर लगाना या बढ़ाना चाहती थी तो थोड़े रूप में उसके हाथ बंधे थे लेकिन अब केवल अन्तर प्रांतीय बिक्री के सामान में ही और उस सामान के बारे में में जो स्पेशल इम्पार्टेंस का डिक्लेयर किया जायगा, उसको छोड़कर यह सरकार सब पर टैक्स लगा सकती है। अब हम इस बात को यहां पर अन्तर के रूप में रखना चाहते हैं कि पहिले विधान के अन्दर जो बातें थीं और अब जो विधान होने जा रहा है और जिसको मुख्य मंत्री चाहते हैं कि यह सदन पास कर दे, उस में यह अन्तर पड़ रहा है। प्रांत में जो व्यापारी हैं उनके लिये प्रांतीय सरकार के लिये अब इस में कोई अंकुश नहीं है चाहे वह गल्ले पर लगावे, चाहे वह मिट्टी के तेल पर लगावें, नमक पर लगावें या किसी भी सामग्री पर लगावें। सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य इस बात को कह सकते हैं कि राज्य सरकार के पास यदि ताकत विशेष आती है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिये इसलिये मेरे भाषण से किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि मैं राज्य सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत नहीं देना चाहता। ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहता हूं, किसी भी जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले के लिये आवश्यक है कि वह यह चाहे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और आर्थिक सत्ता उसमें प्रमुख है, राज्य सरकार के हाथ में ज्यादा शक्ति आये, शक्ति उसकी ज्यादा हो, जब कभी भी ऐसी बात होगी हम उसका समर्थन जरूर करेंगे लेकिन अब यह देखना चाहिये कि सचमुच क्या राज्य सरकार के सामने या इस विधान सभा के पास जो यह मौजूदा संशोधन है, इसके द्वारा कोई विशेष अधिकार आता है क्योंकि पहिले जो धारा थी उस धारा के अन्दर भी यदि राज्य सरकार इस बात को चाहे तो वह किसी भी जीवन के लिये उपयोगी सामग्री पर कभी टैक्स लगाये तो उसके लिये एक बहुत ही मामूली सा बंधन था, प्रेसीडेंट की इजाजत और उनकी स्वीकृति का। मैं समझता हूं कि वह भी नहीं के बराबर ही था क्योंकि अगर यह सरकार किसी भी वस्तु पर बिक्री कर लगाने की बात सोचे और केंद्र की सरकार उसके लिये नहीं कर दे तो मैं समझता हूं इतनी शक्ति केंद्रीय सरकार में नहीं है और जिस रूप में अब तक जितनी बातें गुजरी हैं और सारा अनुभव यह बताता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिन बातों के लिये मचल गई, राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी, चाहे जैसे हो, उन्होंने किया है। इसलिये यह कह दिया जाना कि जो यह मौजूदा संशोधन है यह हमारे स्कोप को बढ़ा रहा है, ऐसी बात व्यवहार में नहीं आयेगी, चाहे कहीं शब्द में आ जाय। फिर भी यह देखा जाना चाहिये कि आखिर क्यों? दूसरी बात यह कही जा सकती है, जैसे कि इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने कहा, कि हमारे सूबे में बिक्री कर की

दर दूसरी है बिहार में। दिल्ली में और इस देश के विभिन्न सूबों में बिक्री कर की दर दूसरी है। इससे कहीं-कहीं ज्यादती हो जाती है और किसी को सहूलियत हो जाती है। तो क्या अगर केंद्रीय सरकार और सारे प्रदेश की सरकारें साधु सम्मति से और जनहित को दृष्टि में रखते हुये चाहें तो इस परिवर्तन के हुये बिना भी वह सामान्य टैक्स की प्रणाली नहीं अख्तियार कर सकतीं? मैं समझता हूं कर सकती हैं। कोई उन्हें बाधा नहीं है, कोई उनके रास्ते में रुकावट या प्रतिबन्ध नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे यदि वह गल्ले पर दो पैसा न टैक्स लगाये फी रुपया, कौन इस सरकार को बाध्य कर सकता है कि इतना ही लगाये? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कि कपड़े पर एक आना फी रुपया बिक्री कर न बढ़ाये, दो पैसा या तीन पाई रहेगा, जैसा बम्बई और मद्रास में है, तो कौन इस सरकार को बाध्य कर सकता है कि कपड़े पर एक आना फी रुपया ही बिक्री कर बढ़ाये? कहीं भी न तो किसी विधान के अन्दर इसकी गारन्टी या इसका प्रतिबन्ध किसी प्रदेश की सरकार के लिये है। उत्तर प्रदेश की सरकार कपड़े पर जितना बिक्री-कर लगाना चाहे, गल्ले पर जितना बिक्री कर लगाना चाहे वह लगाने के लिये आजाद है। केंद्रीय सरकार उसे मजबूर नहीं कर सकती है और न तो किसी दूसरे सूबे की सरकार उसे मजबूर कर सकती है। हां, सरकार को अगर कोई मजबूर करने की शक्ति रखता है तो इस प्रदेश की जनता की शक्ति है और इस सरकार की सद्बुद्धि की शक्ति है। यह सरकार यदि ऐसी तमाम परिस्थितियों का अवलोकन करके चाहे तो वह कपड़े पर, गल्ले पर, तेल पर बिक्री कर उठा भी सकती है और घटा भी सकती है। अब भी घटा सकती है, हटा सकती है क्योंकि कोई सरकार चाहेगी तभी राष्ट्रपति की इजाजत और स्वीकृति की बात आयेगी। और सरकार अगर नहीं चाहती लगाना तो राष्ट्रपति की इजाजत और स्वीकृति का कहीं प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। इसलिये किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि जो यहां संशोधन आज प्रस्तुत किया गया है इसमें प्रांत के लिये कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो रहा है। हमारे सदन के बहुत से सदस्य इस बात में आ जाते हैं जहां कहीं भी चर्चा हो जाती है कि प्रांत का अधिकार ज्यादा व्यापक हो रहा है, वह समझ जाते हैं केवल शब्द मात्र से अधिकार व्यापक हो रहा है। इसमें बंधन भी हो रहा है। उस बंधन को भी देखा जाना चाहिये। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रांत की सरकार या विधान सभा डंडे के जोर से बराबर काम करे।

मैं चाहता हूं कि इसके सामने सर्वथा जनहित हो और उसी से यह काम करे। इसलिये अगर केंद्र को जो एक अधिकार प्राप्त हो रहा है अन्तरप्रांतीय व्यापार में वह एक अनुशासन के रूप में, व्यवस्था के रूप में नियम उप-नियम बनायेगी जिसके अन्तर्गत तमाम प्रदेशीय सरकारों को चलना होगा, इससे बड़ा फायदा होगा, इससे हानि भी हो सकती है। प्रदेश की सरकार की आजादी छीनी भी जा सकती है और छीनी जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा यह अवश्य कि अर्थ मंत्री ने, केंद्र को आश्वासन दिया है कि जो वह व्यवस्था करेंगे प्रांतीय सरकारों से वह सलाह मशविरा करके करेंगे। कानून में कहीं ऐसी बात नहीं है और फिर आज जब निकट भविष्य में आम चुनाव निर्वाचन होने जा रहे हैं तो उसका इन्तजार क्यों न किया जाय, क्यों न इस बात को देखें कि प्रदेश की कितनी सरकारें बदलती हैं। हो सकता है कि प्रदेश में दूसरी सरकार हो और केंद्र में दूसरी सरकार हो। तो आज हम यह अंकुश अपने ऊपर रखने के लिये तैयार नहीं हैं। हम आज अच्छी तरह से चाहते हैं कि हमारे सामने बराबर हमारी गतिविधि को संचालित करने के लिये जनहित का दृष्टिकोण होना चाहिये और जब जनहित का दृष्टिकोण होगा हमारे सामने तो निश्चय है कि जीवन की आवश्यक सामग्रियां जो हैं उन पर टैक्स नहीं लगायेंगे, निश्चय है कि गल्ले पर पर हम टैक्स नहीं लगायेंगे, निश्चय है कि कपड़े पर बढ़ते हुये टैक्स को कम करेंगे, निश्चय है कि जो और आवश्यक सामग्रियां तेल आदि हैं उन पर बिक्री कर घटायेंगे। अक्सर कहा जाता है श्रीमन्, जरा घंटी देर तक बजी है, आप यहां आये हैं २५ मिनट के करीब। बराबर यह कहा जाता है श्रीमन्, और बहुत से सदन के सम्मानित

[श्री राजनारायण]

सदस्यों ने इस बात को कहा भी है कि व्यापारी यह कहते हैं कि अगर सारे प्रदेशों में बिक्री कर का एक भाव हो जाय तो राष्ट्रीय निर्माण के लिये हम पैसा देने में कब हिचकते हैं। व्यापारी जो कुछ भी कहता हो यह बात सर्वमान्य है कि पैसा व्यापारी को अपने घर से नहीं देना पड़ता। पैसा तो देना पड़ेगा उस आदमी को जो कि सामान खरीदेगा। तो जब हमारी क्रयशक्ति घटती चली जा रही है फिर हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात भी अनुचित है और नहीं होनी चाहिये। जो पहले का कंस्टीट्यूशन है वह प्रांतीय सरकार को इतनी आजादी दिये हुए है कि प्रांतीय सरकार अपने टैक्स की प्रणाली को बिक्री-कर के बारे में जैसा चाहे वैसा करे। फिर आज हम क्यों अपने ऊपर यह अंकुश लगाने के लिये तैयार हों कि सारे प्रदेशों में बिक्री-कर का एक भाव बनाकर के और सारे प्रदेशों की सरकारों को बाध्य किया जाय कि वह भी अपने यहां बिक्री कर लें। यहां अधिकार एक तरह से खेले जाते हैं, अपने हाथ से निकलते हैं और केवल एक भावना आती है कि सारे राष्ट्र में एक प्रकार की प्रणाली हो जायगी। सारे राष्ट्र की एक प्रणाली किसी के लिये अच्छी और किसी के लिये बुरी भी हो सकती है, क्योंकि इतने लम्बे चौड़े देश में हर प्रदेश की जनता की आर्थिक परिस्थिति एक समान नहीं है। हमारे प्रदेश की जनता की जैसा कि हमने बताया यदि अपने देहात की जनता की वार्षिक आमदनी देखी जाय तो १९२ रुपया प्रति व्यक्ति एक देहाती की आमदनी पड़ती है। दूसरे प्रदेशों में आमदनी का दूसरा हिसाब होगा फिर यह नहीं कहा जा सकता कि बिक्री कर का भाव यदि एक समान हो जायगा तो हितकारी हो जायगा। इस भ्रम में सदन के सम्मानित सदस्यों को नहीं पड़ना चाहिए। यों मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आज उनके पास जितना अधिकार है उसी अधिकार का प्रयोग करें तो प्रदेश की जनता को बहुत राहत दे सकते हैं। प्रदेश की जनता के ऊपर जो टैक्स का बढ़ता हुआ भार है उसको कम कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं और जिस तरह का संशोधन आज हमारे सामने प्रस्तुत है जिसको माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि यह सदन मान्यता प्रदान करें, स्वीकृति प्रदान करे, अनुसमर्थन करे, चारों तरफ से समर्थन करें, मैं चाहता हूं कि यदि सदन माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को अमान्य करें। मैं चाहता हूं कि केन्द्र आज जो तमाम शक्ति आपने हाथ में ले कर के एक राष्ट्र निर्माण के लुभावने और मोहक शब्द से सारे प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयत्न कर रहा है, हम सचेत होकर के सारे प्रदेश की जनता को और सारे देश की जनता को बतायें कि हमारी गति विधि को समुचित रूप से संचालित करने के लिये हमारी सद्बुद्धि, हमारा सद्भाव और जन-हित है न कि केन्द्र का डंडा है, न कि केन्द्र का विधान है। यह सही है कि जब हमें एक कानून के अन्तर्गत एक विधान के अन्तर्गत चलना है तो उस विधान की धाराओं पर हमें विचार करना ही चाहिए। मैं आपसे केवल एक मिनट में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जिस संशोधन को मान्यता प्रदान करने के लिए, जिस संशोधन के समर्थन में उन्होंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है उसे देखेंगे--तो उस संशोधन से कोई बड़ा हित होने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल एक बात बताई कि बहुत सा टैक्स जो हमें आज मिल सकता था वह नहीं मिल पा रहा है। मगर अगर इसी प्रदेश के तमाम बिक्री कर को देखा जाय, श्रीमन्, तो इस प्रदेश में भी बिक्री कर की वसूली की जो व्यवस्था है यदि उसी को समुचित रूप से संचालित किया जाय तो बहुत सा पैसा मिल सकता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि लोग इसका विरोध करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि भारतीय विधान में जो संशोधन का प्रस्ताव हुआ है उसे स्वीकार किया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके विरोध में जो कुछ कहा गया है उसको मैंने सुना। मैंने यह समझा कि सब से बड़ी आपत्ति तो इस बात की की गयी कि भारतीय विधान को इतनी

आसानी से और इतनी जल्दी छोटी-छोटी बातों में तबदील नहीं करना चाहिये और उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह तर्क कुछ ज्यादा उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है हमारे सामने स्थिति यह है, कि या यों कहिये कि केन्द्रीय सरकार और पार्लियामेंट के सामने स्थिति यह थी कि जो भारतीय विधान है उसके आर्टिकिल २८६ में तीन क्लाज थीं जहां तक कि सेल्स टैक्स की पावर का सवाल है स्टेट्स को पूरी पावर थी, सिवाय न्यूजपेपर को छोड़ कर, सभी आर्टिकिल पर टैक्स लगा सकती थीं। एक क्लाज यह थी कि वह परचेज जो स्टेट के बाहर हो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती थी और जो इन कोर्स आफ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो उसके ऊपर भी नहीं। दूसरी यह थी कि जो इंटर स्टेट ट्रेड है उस के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगा सकती थी और अगर लगा भी सकती थी तो उन्हीं प्रावीजंस के तहत लगा सकती थीं जो पार्लियामेंट ने बनाये। और तीसरी क्लाज यह थी कि जो एसेंश्यल कमोडिटीज हैं लाइफ की उन पर बिना प्रेसीडेंट की आज्ञा के कोई सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती थी। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसके अन्दर यह भी परिभाषा थी कि कौन सा ट्रांजेक्शन आउट साइड स्टेट समझा जायगा या कौन सा इंटर स्टेट समझा जायगा। उसका फल यह हुआ कि दो केसेज हमारे सामने हैं, जिन में कि हमारे देश की जो सुप्रीमकोर्ट है उसके दो फैसले हुए जो एक दूसरे से आपस में कंट्रेडिक्टरी हैं, एक दूसरे, के विरोधी हैं, और उसमें भी तारीफ यह कि वह दोनों फैसले सर्वसम्मति से नहीं हुए, बल्कि फैसले एक मैजारिटी से। पहले में मैजारिटी की एक राय थी। दूसरे फैसले में सबकी एक राय नहीं थी। तो एक कानूनी अड़चन सामने आयी। एक में तो यह था कि टैक्स करने का अधिकार है बावजूद क्लाज २ के। दूसरे में कहा कि नहीं है। तो एक तो कानूनी अड़चन गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने थी। कोई भी गवर्नमेंट हो, जब सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है और खास तौर से ऐसी स्थिति में जब किसी भी आर्टिकल के टैक्स करने के ऊपर उसकी दो ओपीनियन्स हो जायं, दो राय हो जायं तो यह उचित ही था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कॉंस्टीट्यूशन में ऐसा संशोधन लाती जिससे कि वह प्वाइंट साफ हो जाता और आगे के कंप्लीकेशन्स और दिक्कतें खत्म हो जायं। इसीलिए इस भारतीय संविधान में ये संशोधन पेश किये गये।

यह भी कहा गया कि इससे कुछ हमारी स्टेट के अधिकारों को छीना गया। मैं नहीं समझता कि इसमें और राज्य सरकार के अधिकारों के छीनने का सवाल क्या आता है? यह तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ माने में स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार बढ़ गये। इसलिए बढ़ गये और जैसा कि हमारे कुछ-कुछ भाइयों ने आपत्ति भी की कि जो एसेंश्यल कमोडिटीज आफ लाइफ की बाबत क्लाज ३ थी कि बिना प्रेसीडेंट की आज्ञा के स्टेट सरकारें कोई टैक्स नहीं लगा सकती थीं, वह उसमें से हटा दी गयी। और केवल इसमें इतना ही है कि सिवाय उन आर्टीकिल्स को छोड़ कर जो स्पेशल इम्पोर्टेन्स के हों और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसा हो कि कहीं कच्चा माल पैदा होता हो और उसका कारखाना दूसरी स्टेट में हो तो उसमें इतना ज्यादा टैक्सेशन न हो जाय कि माल की कीमत बढ़ जाय। इसके लिये इतना ही रखा है और यह पाबन्दी भी सम्बन्धित राज्य सरकारों से सलाह करके।

आपत्ति यह भी उठाई गई है कि एसेंशियल कमोडिटीज आफ लाइफ की चीजों पर से भी प्रतिबन्ध नहीं हटाया जाना चाहिये था। एक तरफ तो कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की ताकत छीनी जाती है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी सी ताकत बढ़ गई है और यह भी कहना कि पाबन्दी रहनी चाहिये थी मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। जो हुआ उचित ही हुआ और उचित इस माने में हुआ जैसा कि शुरू में बतलाया गया है कि कुछ स्टेट्स ऐसी थीं कि जिनमें फूड ग्रेन्स पर आलरेडी टैक्स लगा हुआ था। इसके बाद इस तरह का प्रावीजन लगाना कि दूसरी

[श्री नवलकिशोर]

स्टेट्स उसको नहीं कर सकती है जब तक कि प्रेसीडेंट की स्वीकृति न हो। मैं समझता हूं कि यह थोड़ा सा डिसक्रिमिनेटरी था। विधान के अनुसार पार्लियामेंट डिसक्रिमिनेटरी लेजिसलेशन नहीं बना सकती है इसलिये भी मैं समझता हूं कि इसको हटाना उचित था। इसलिये ऐसा संशोधन करना कि एसेंशियल कमोडिटीज आफ लाइफ पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाय और बिना प्रेसीडेंट की कंसेन्ट के स्टेट टैक्स कर सकती है, मैं समझता हूं कि यह उचित ही हुआ। हमको अपनी बढ़ती हुई शक्ति से डरना नहीं चाहिये।

जहां तक इस बात का सवाल है.....

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि दूसरा सवाल यह उठाया गया है कि फूडग्रेन्स पर टैक्स हो या न हो, यह चीज विचार करने की हो सकती। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट संबंध इस संशोधन से नहीं है। इस संशोधन के लाने का एक कारण यह भी था कि जो टैक्सेशन्स इंक्वायरी कमीशन बैठा था उसकी सिफारिश थी कि स्टेट के लिये टैक्सेशन के संबंध में काफी शक्ति होनी चाहिये मगर साथ में यह भी एक सिफारिश थी कि इंटर स्टेट टैक्स का जहां तक संबंध है वह पार्लियामेंट के हाथ में होना चाहिये। इसकी सिफारिशों को सभी स्टेट्स ने माना, केन्द्रीय सरकार ने भी माना। इसलिये इस माने में भी उचित ही था कि इसके अनुरूप विधान में संशोधन किया जाना चाहिये था।

इसके बाद जहां तक आर्टिकिल २६९ का संबंध है उसमें यह है कि जो रुपया इस तरह से इकट्ठा किया जायगा वह बजाय इसके कि कंसोलिडेटेड फंड में पहुंचे, उन्हीं स्टेट को बांट दिया जायगा जहां से रुपया आयगा और उनके नियम पार्लियामेंट बनायेगी। मैं सहमत हूं उन सभी साथियों से जिनका मत था कि जिस समय इस रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस बात का खयाल रखा जाय कि वह उचित ढंग से होना चाहिये जिससे किसी राज्य की हकतलफी न हो जाय।

मैं इतनी बात और कहूंगा इस संबंध में कि अच्छा होता अगर पार्लियामेंट इस पर भी ध्यान देती जैसा कि कुछ भाइयों ने भी कहा कि सभी स्टेट्स में टैक्सेशन का रेट यूनिफार्म हो जाय, ताकि सब जगह युनिफार्मिटी हो जाय। पार्लियामेंट के कुछ भाइयों ने भी इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। हम भी जानते हैं कि इसकी वजह से हमारे व्यापार में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। मिसाल के तौर पर देहली के अन्दर कुछ चीजों पर टैक्सेज नहीं है और कुछ चीजों पर है तो हमारी स्टेट से बहुत कम है। इस का परिणाम यह होता है कि जो हमारे बार्डर टाउन्स हैं उनके व्यापार को बड़ा धक्का लगता है। हमारा सारा देश एक है चाहे यह सही हो कि हम कुछ हिस्सों में टेरीटोरियल तरीके से बंटे हुये हैं। तो यदि कोई तरीका हो सकता होता कि एक यूनिफार्म सेल्स टैक्स पालिसी गवर्नमेंट आफ इंडिया ले डाउन कर सके जब स्टेट के लिये तो मैं समझता हूं व्यापार के लिये काफी उत्साह मिल जाता। साथ ही साथ जैसा कि हमारे एक भाई ने लोक सभा में भी शिकायत की कि पंजाब में किसी चीज का भाव ६ रुपये हो और मद्रास में ४२ रूपये हो, इस चीज का भी मैं समझता हूं, बहुत हद तक हल हो जाता। लेकिन यह एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि कुछ डेफिसिट स्टेट्स हैं तो कुछ सरप्लस स्टेट्स हैं, कुछ की एकोनामी एग्रीकल्चरल है, कुछ की इंडस्ट्रियल इकोनोमी है। तो दोनों को एडजेस्ट करना इतना आसान नहीं है यद्यपि उसूलन यह बात बहुत उचित और अच्छी है।

मैं समझता हूं कि इन संशोधनों के सम्बन्ध में और तमाम बातों को ले आना कि किन-किन चीजों पर टैक्सेज होने चाहिये थे और किन पर नहीं होने चाहिये थे, सरकार को अधिकार होना चाहिये या नहीं होना चाहिये और हमारी स्टेट को फूडग्रेन्स पर टैक्स लगाना उचित है या नहीं, इन सब बातों का इन संशोधनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। और अधिक न कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है।

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में संविधान में जो संशोधन किये गये हैं और जिसके समर्थन के लिये मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि उसके अधिकांश भाग से यह सारा सदन सहमत हो सकता है। लेकिन जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसमें १६ आने सहमति देने में हम अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। खास कर के जिस बात पर एतराज इस सदन में किया जा रहा है उस बात पर पार्लियामेंट में भी वहां के सदस्यों ने और वहां की ज्वाइंट प्रवर समिति के सदस्यों ने भी अपनी आपत्तियां प्रकट की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सेल्स टैक्स की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है, यह हम जानते हैं कि संविधान में लिस्ट्स, पावर्स की बनायी गयी। एक यूनियन लिस्ट है जिसमें ऐसे विषय रखे गये हैं जो यूनियन के मातहत हैं और दूसरी लिस्ट जिसमें कि ऐसे विषय हैं जो कि प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं और तीसरी ऐसी लिस्ट भी है, कांकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के एक हद तक अधिकार हैं। सेल्स टैक्स स्टेट लिस्ट में आता है। बावजूद इसके भी हम देखते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से प्रान्तीय सरकारों की भी सेल्स टैक्स के सम्बन्ध अनलिमिटेड पावर्स नहीं थी क्योंकि आर्टिकिल २८६ के अन्तर्गत जैसा माननीय नवलकिशोर जी ने बतलाया, कुछ रेस्ट्रिक्शन्स संविधान में थे जिनके अनुसार प्रान्तीय सरकार के लिये भी कुछ मामलों में सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध था। जैसे कि जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय प्रदेश के बाहर हो, या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान में जो वस्तुयें होती हैं उन पर प्रान्तीय सरकार को सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी अधिकार था पार्लियामेंट को या यह भी रेस्ट्रिक्शन्स था प्रान्तीय सरकार पर कि एसेंशियल कमोडिटीज पर बगैर प्रेसीडेंट की अनुमति के वह टैक्स नहीं लगा सकती थी। इस वक्त जो यह संशोधन किये गये हैं वह वर्तमान सेल्स टैक्स के परिणाम स्वरूप जो आज तक कठिनाइयां प्रतीत हुई जो सेल्स टैक्स के कार्यान्वित करने में सरकार को महसूस हुई या विभिन्न प्रदेश की सरकारों को दिक्कतें महसूस हुई उनको दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने यह संशोधन रखा है और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है। इसमें तीन संशोधन खास हैं। पहला सातवीं सूची में है जिसके अनुसार यूनियन सरकार ने इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स जहां पर कि कुछ अधिकार अब तक प्राप्त थे उनको पूरे तौर से अपने हाथ में ले लिये हैं और यूनियन लिस्ट में ९२ वें आइटम के बाद ९२ (१) करके जोड़ दिया है जिसके अनुसार अन्तर्राज्जीय सेल्स टैक्स के जो मामले हैं उनका पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल यूनियन का रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप यह स्वाभाविक था कि हमारी प्राविंशियल लिस्ट में जो अधिकार प्रान्तीय सरकार को थे आइटम नम्बर ५४ सेल्स टैक्स आन गुड्स अदर दैन न्यूजपेपर्स एट्सेटरा, यह प्रान्तीय सरकार के अधिकार में था। उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया उसको यूनियन के अधिकार में जोड़ा गया है। तो यह सब १९ (ए) में आ जाने से प्रतिबन्ध रखा गया। तो यह उसका कांसीक्वेंशल परिवर्तन हुआ। इसके साथ ही २६९ के संशोधन की आवश्यकता हुई। वह इसलिये कि बावजूद इसके कि इंटर स्टेट सेल्स टैक्स पर कंट्रोल या अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रहेगा किन्तु उसकी जो आमदनी होगी वह स्टेटों में बांटी जायगी। अगर यह अधिकार वसूल करने का यूनियन गवर्नमेंट को दिया जायगा तो उसमें एक दिक्कत यह पड़ सकती है कि प्रान्तों को वितरण करने का सिद्धान्त क्या होगा। यह अधिकार भी पार्लियामेन्ट के पास है।

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

हम इसके संबंध में अंधकार में हैं किस सिद्धान्त के अनुसार वितरण होगा । इसको पार्लियामेंट तय करेगा अपने कानून के जरिये से । इसमें हो सकता है प्रान्तीय सरकार को नुकसान रहे ।

दूसरी बात तो यह है इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स कौन होंगे इसके लिए एक सबक्लाज जोड़ा गया है—

"Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause (1) "

यह भी पार्लियामेंट कानून के जरिये से तय करेगी ।

अब जो तीसरा संशोधन है वह २८३ आर्टिकिल में है और जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों को कुछ आपत्तियां हैं । आर्टिकिल २८६ के सब क्लाज (१) में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था और जिसकी वजह से तमाम सा लिटीगेशन और सुप्रीम कोट का फैसला हुआ वह हटा दिया गया है । यह हम भी चाहते हैं । अच्छा है इसलिये कि इससे सारे प्रान्तों में एक यूनिफार्मिटी रहेगी और एक डेफिनेटनेस रहेगी और ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, जिसकी वजह से तमाम लिटिगेशन होता है और हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं होना चाहिये । ऐसा वेग कानून हमको नहीं रखना चाहिये । तो यह जो ओमिट किया गया है उसका हम समर्थन करते हैं । लेकिन यह जो सब-क्लाज दो और तीन जोड़ा गया है उसका माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं । उसमें यह है कि जहां पहले पार्लियामेंट को अधिकार था प्रदेशों के ऊपर, प्रदेशीय सरकारों के ऊपर, उन वस्तुओं के बारे में जो कि लाइफ की नेसेसिटीज थीं, उसको हटा कर उसकी जगह "गुड्स आफ स्पेशल इम्पार्टेन्स फ र दि ट्रेड एन्ड कामर्स" रखा गया है । इसी में मतभेद है । इसमें हम चाहते है कि गुड्स आफ दि स्पेशल इंपार्टेन्स हों उनको पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दे । लेकिन जीवन की आवश्यक वस्तुओं और गुड्स आफ स्पेशल इम्पार्टेंस में भेद है । अगर पार्लियामेंट गुड्स आफ स्पेशल इंपार्टेन्स में नेसेसिटीज को भी लेती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन मुमकिन हो सकता है कि पार्लियामेंट गुड्स आफ स्पेशल इम्पार्टेंस में केवल रा मैटीरियल को ही ले, जो इंटर स्टेट ट्रेड के लिये जरूरी हो । तो इसमें हम चाहते हैं कि लाइफ की जो नेसेसिटीज है वह भी इसमें आ जायं । इसमें सदन में दो मत हैं । कुछ लोगों का कहना है कि जो जीवन की आवश्यक वस्तुयें हैं उनको हटा कर गुड्स आफ स्पेशल इंपार्टेन्स रख देने से इस सदन का अधिकार बढ़ा है । मैं कहता हूं कि अगर यह सरकार फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स न लगाये होती तो शायद जो इस प्रकार का विरोध हो रहा है वह न होता । माननीय सदस्यों को यह खतरा है कि अगर प्रदेशीय सरकार को यह छूट दे दी गई तो इस दौर में हर स्टेट अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये ऐसा न हो कि आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगा दे और इस प्रकार जनता का बोझ बढ़ा दे । अगर फूड ग्रेन्स पर कर न लगा होता तो मुझे उम्मीद है कि इस सदन में शायद कोई विरोध न होता । यह मानता हूं कि प्रान्तीय सरकार को अधिकार मिला है लेकिन इसका दुरुपयोग करने से माननीय सदस्यों को असंतोष होगा और कम से कम यूनियन सरकार को प्रान्तीय सरकार छूट नहीं देनी चाहिये क्योंकि सारे देश में आवश्यक वस्तुयें एक समान, एक भाव से मुहैय्या होनी चाहिये । वरना आज इस प्रस्ताव का कोई भी विरोध नहीं करता ।

जहां तक पावर को विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से हम देखते हैं जाहिर बात है कि इस संशोधन के जरिये से केन्द्रीय सरकार के हाथ में सत्ता आ रही है क्योंकि इन्टर स्टेट ट्रेडिंग का पूरा अधिकार उनको है । इन्टर स्टेट ट्रेडिंग को डिक्लेयर करने का अधिकार

पार्लियामेंट को है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अधिकार उनको है। किस आधार पर किस सिद्धान्त के आधार पर वह प्रान्तों को रुपया देंगे और किस प्रकार से उसको निर्धारित करेंगे यह सब उनको ही अधिकार है। इसमें प्रान्तीय सरकार का कोई हाथ नहीं होगा जब कि हम इस संशोधन में कोई व्यवस्था नहीं देखते हैं। हो सकता है, जैसा कि आश्वासन दिया गया है, कि वह प्रान्तीय सरकारों से पूछ सकते हैं। वैसे वैधानिक दृष्टि से वहां की सरकार को ही पूर्ण अधिकार है लेकिन जब हम प्रान्तीय सरकार के अधिकार देखते हैं तो यह अवश्य है कि इस संशोधन के जरिये से प्रान्तीय सरकार को अधिकार कम दिये गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी सिफारिश करें कि जो आवश्यक सामग्री जीवन के लिये हैं उनको भी स्पेशल महत्व की वस्तुओं में शामिल किया जाय इसलिये कि जब वह पार्लियामेंट में बिल लायें उनको उसमें इन्कलूड कर दें।

श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह संशोधन वाला प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे एक आध मित्र ने कहा कि इतनी जल्दी संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिये। मैं उनकी इस राय से बिलकुल सहमत नहीं हूं। आखिर हम लोग इतने आदमी यहां आते हैं और स्टेट का इतना रुपया खर्च करके इकट्ठे होते हैं तो अगर कोई संविधान में कमी रह जाती है तो उसका सुधार करना जरूरी हो जाता है। अभी यह जो २०४ पेज की किताब संशोधन के रूप में हम लोगों के सामने प्रस्तुत की गयी है। अगर उसको पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि उन्होंने करीब-करीब बिलकुल ठीक ही यह संशोधन हमारे पास भेजा है क्योंकि हमारे मित्र राजनारायण जी ने कहा कि हमारी सरकार को अपनी तरफ से जरूरी चीजों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये लेकिन सब से पहले राजनारायण जी यह तो तय कर दें कि असेन्शियल चीजें क्या हैं। यदि फूड ग्रेन अधिक लोगों के लिये असेन्शियल है तो नमक को भी असेन्शियल मानना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिये चाय को भी जरूरी मानना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिये रोशनाई और कागज को भी असेन्शियल मानना पड़ेगा। समय-समय पर हर चीज असेन्शियल हो जाती हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आज असेन्शियल है वह कल नहीं रहेगी। तो राजनारायण जी अपना हिसाब लगा कर बतायें कि सेल्स टैक्स किन चीजों पर से कम कर सकते हैं। उन चीजों को उन्होंने नहीं बताया है कि किन-किन चीजों से सेल्स टैक्स को छोड़ा जायगा। वह कहते हैं कि मालगुजारी को वह अपने शासन में कम कर देंगे, बहुत सी चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं लगायेंगे तो आखिर फिर वह बतलायें कि स्टेट को कैसे चलायेंगे। अगर वह छूमन्तर करने से पैसा निकल आवेगा तो वह कहां से आयेगा और सारी मशीनरी का काम कैसे चलेगा? ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने अभी तक सामने नहीं रखी है। जब यह व्यवस्था आ जायगी तब देखा जायगा और समझा जायगा। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कलकत्ता वालों की कोई फर्म लखनऊ में है और लखनऊ की कोई फर्म कलकत्ता में है या बनारस वालों की मद्रास में है और मद्रास वालों की कश्मीर में है तो यह तमाम चीजें हैं ये बड़े-बड़े फर्म्स ही पूंजीपति हो सकते हैं। कोई साधारण परचून की दूकान वाला या खोमचा बेचने वाला तो कलकत्ता या बम्बई या पटना में और साथ ही लखनऊ में दूकान रख नहीं सकता है। यही देखना चाहिए कि किस बात में पब्लिक का गरीबों का लाभ होता है। तो मैं समझता हूं कि बड़ी-बड़ी कम्पनीज पर ही यह टैक्स लग सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को जैसा वह है मानने में क्या हर्ज है? लेकिन मैं हमेशा देखता हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्य चाहे अच्छे से अच्छा कानून रखा जाय, चाहे खराब से खराब कानून रखा जाय उसका विरोध ही करते हैं। हम लोग यहां आये हैं तो इतना तो हमारा आचरण होना ही चाहिये कि अगर अच्छी बात सरकार की ओर से पेश होती है तो उसे हम अच्छी तरह से स्वीकार करें। अगर इसे पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि यह कई सेलेक्ट कमेटियों में हो कर यहां आया है। पार्लियामेंट में हमारे ही चुने हुये

[श्री लालबहादुरसिंह]

लोग गये हैं। हम जैसी कांस्टीट्यूएंसी से आये हैं वैसी ५ कांस्टीट्यूएन्सीज से पार्लियामेंट में १ मेम्बर होता है वहां काफी बहस होने के बाद यह यहां आया है। तो जब इतनी बातें हो गईं तो क्या वजह है कि हम न मानें ? बहस तो किसी चीज को ले कर कई दिन होती रह सकती है। क्या आप समझते हैं कि हम लोग ही असेम्बली में बहस कर सकते हैं ? आप इसे लेकर चलिये तो चाय खाने में, हजरतगंज के रास्ते पर भी बहस सुनते हैं। हमारे देश की आदत ही पड़ गई है। पता नहीं अंग्रेज हमको सिखा गये हैं या क्या परम्परा है। कोई काम सुचारु रूप से करने की हम कोशिश नहीं करते हैं। यह बिलकुल सीधा सा प्रस्ताव है कि इसे हम पास करेंगे तो हमारी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बतलाया है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसे निर्धारित करेगी और वह लेकर प्रोपोर्शनेटली हमको भी दे देगी। अगर आप किसी चीज को ऐसेन्शियल समझते हैं तो उस पर कभी फिर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन आज तो इस प्रस्ताव को पास कीजियेगा। अगर आपको यही सोचना है कि नहीं भाई, इन चीजों से बड़ी हानि हो रही है तो फिर संशोधन कर दिया जायगा। फिर आगे चुनाव आ रहा है अगर हम और आप आवेंगे और पार्लियामेंट में भी यही होगा। अगर आप समझते हैं कि किसी चीज से सारा देश तबाह हो जायगा तो फिर सुधार कर लिया जाया। लेकिन मैं देखता हूं कि सेल्स टैक्स लगाया तो बहुत से व्यापारी तो आये ही नहीं थे। हमारे यहां भी बहुत से दूकानदार हैं। कुछ इन्टरेस्टेड लोग जो चाहते थे कि ख्वामख्वाह हम भी कुछ होल्ड करें, वे नारा लगा कर चले आये।

दूसरी बात यह है कि ऐसेंशल चीजों पर ही क्यों ? हम तो इस राय के हैं कि अगर कोई आमदनी का जरिया निकल आये तो हर चीज का टैक्स कम किया जाय। लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि सेल्स टैक्स, इनकमटैक्स या कोई भी टैक्स न हो तो वे आमदनी का जरिया बतलावें। अगर यह कहा जाय कि सेल्स टैक्स लगाया गया तो आगरा में हम एक सीट हार गये तो यह बात मुझे नहीं जचती है। मनुष्य में मारल करेज होनी चाहिये। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो नाना प्रकार के टैक्स नहीं लगाती हो। टैक्स लगाने के मानी यह तो नहीं हैं कि हम जनता का शोषण करते हैं। जनता एक चीज देखती है कि टैक्स का यूटिलाईजेशन प्रापर वे में होता है या नहीं। टैक्स लगाने से पब्लिक को बुरा नहीं लगता लेकिन उसका यूज प्रापर होना चाहिये। यदि प्रापर यूज होता है तो जनता उसको बरदाश्त कर सकती है। चाहे हम इस पक्ष के हों, विपक्ष के हों, चाहे मुख्य मंत्री जी हों या और कोई हो, हमें २४ घंटे इस बात में रत रहना चाहिये कि जो टैक्स लगे उसका प्रापर यूज होना चाहिये। आज मुझे अंग्रेजों का जमाना याद आता है। आज तो हम सब चारों तरफ शोर गुल करते हैं लेकिन एक वह जमाना था जब हिन्दू मुस्लिम राइट्स होते थे और गांव के गांवों पर टैक्स लगा दिया जाता था और कोई नहीं बोलता था। शायद ही कोई पोलीटिकल आदमी कभी कुछ बोल जाता था तो वह जेल भेज दिया जाता था। आज लेकिन डेमोक्रेसी है। जिस चीज को कहना चाहें जिसका विरोध करना चाहें, कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक को सुना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें विरोध करने का अधिकार है उसी तरह से सरकार को भी हक है कि वह जिस तरह से चाहे जनता की सेवा करने के लिये टैक्स लगा सके। इस अमेंडमेंट पर कई बार बहस हुई है और वोटिंग भी हुआ है जब पार्लियामेंट इस पर बहस कर चुकी है तो फिर इसमें कोई ऐसी बात मालूम नहीं होती कि हम इस पर बहस करें। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बिना विरोध के माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव को पास कर दें। अगर पब्लिक के पैसे का ही ज्यादा खयाल है तो उनको जल्दी से इसको पास करके दूसरा बिल ले लेना चाहिये क्योंकि जितनी देर हम बैठते हैं उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होता है।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—मुझे एक बात सुन कर ताज्जुब हुआ। कहा यह गया कि राजनारायण जी ने कोई आंकड़े नहीं दिये। यूं ही कह दिया, हिसाब किताब

कोई नहीं । आपके सूबे की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है। उनमें कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं। कितना कपड़ा मर्दों के कपड़ों में लगता है और औरतों को कितना कपड़ा चाहिये ? एक आदमी जो गांव में रहता है उसको २ धोती, दो कुर्त्ते के लिये कपड़ा और एक चादर चाहिये। और एक औरत को २ लंहगे १२–१२ गज के, ५ गज का दुपट्टा और बाडी आदि को लगा कर ५० गज कपड़ा लगता है। इस तरह से एक आदमी को ३० गज और एक औरत को ५० गज कपड़ा लगता है। अब आप आबादी का हिसाब लगाइये । हमारे यहां की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है ।

श्री लालबहादुरसिंह--माननीय सदस्य कौन सी धारा के संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री टीकाराम--आपने कहा कि टैक्स के बारे में माननीय राजनारायण जी ने कोई आंकड़े नहीं दिये । आपने कहा कि कपड़े और गल्ले के कोई आंकड़े नहीं दिये। मैं आंकड़े दे रहा हूं कि एक औरत का खर्चा कितना और एक मर्द का खर्चा कितना। जब प्रत्येक को इतना कपड़ा चाहिये तो हमारे यहां ३ करोड़ औरतें हैं . . . . . .

श्री शिवनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि वे जरा धीरे-धीरे बोलें ताकि हम लोगों को भी सुनाई दे। मालूम होता है कि आंधी चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं बतला देना चाहता हूं कि यदि वे हल्ला करेंगे तो हम लोग न चाहने पर भी हल्ले का जबाव दे देंगे ।

कुछ सदस्य--चुप रहिये, चुप रहिये ।

श्री राजनारायण--शान्त रहिये, डोंट शाउट ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का आपस में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है ।

श्री टीकाराम--यह हिसाब जो मैंने दिया उस हिसाब से अगर आप कोई कपड़ा लीजिये तो ८ आने गज से कम पर खद्दर भी नहीं मिलता है जो जुलाहे का बुना होता है। एक रुपया, बारह आने, सवा रूपये, इस आने गज तो मारकीन मिलता है । उस पर आपने सेल्स टैक्स दो पैसा लगा दिया, एक आना भी लगाया है। तो अगर हम हिसाब लगायें तो कितने करोड़ गज कपड़ा हुआ, उस पर कितना रुपया सेल्स टैक्स का हुआ ? अप्रैल से सेल्स टैक्स लगा हुआ है, लूटालूट हो रही है लेकिन आपके पास कोई हिसाब नहीं है कि कितना रुपया वसूल हुआ । न जाने कब तक आपका हिसाब बनेगा लेकिन इधर खरीदारों के ऊपर टैक्स पड़ रहा है । यह तो हिसाब कपड़े का हुआ ।

इसी तरह से गल्ले का हिसाब लगाइये । हमारे यहां की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है। १२ छटांक, ८ छटांक से कम किसी पर नहीं पड़ता है। इस तरह से क १४ करोड़ मन गल्ला खर्च होता है। अब आप फी रुपया दो पैसे के हिसाब से सेल्स टै लगाइये तो गल्ले से ही न मालूम कितना रुपया वसूल हो रहा है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--क्या सब लोग खरीद कर ही खाते हैं ?

श्री टीकाराम—उसका जबाव भी मैं दे दूंगा। आपका टैक्स पहले गांव के उन लोगों पर पड़ता है जो उसको खरीद कर खाते हैं। फिर अढ़तियों के पास जब वह जाता है तो उस पर टैक्स पड़ता है, वहां से लौट कर फिर जब दूकानदार के पास गया तो वहां टैक्स पड़ता है और दूकानदार के यहां से होटलों तक यह टैक्स पहुंच जाता है। इस तरह से कई जगह टैक्स गल्ले के ऊपर पड़ता है। अगर गल्ले के ऊपर सेल्स टैक्स का हिसाब लगाया जाय तो करोड़ों रुपयों का हिसाब बैठता है। अप्रैल से वह चल रहा है लेकिन आपके पास कोई हिसाब नहीं है कि क्या वसूल हुआ है, क्या वसूल नहीं हुआ है। न जाने कब तक उसका हिसाब आप बना पायेंगे। यह हमारे यहां लूट हो रही है जिसका मैंने हिसाब दिया, फिर भी आप कह सकते हैं कि कोई हिसाब नहीं दिया। अगर आप देखें तो मैंने अच्छी तरह से हिसाब बता दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस संशोधन के समर्थक माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्पीच दी है और उसके साथ-साथ सदन में जो कार्यवाही लोक सभा की वितरित की गयी है उसको देखने के बाद कुछ अन्तर सा मालूम होता है और अन्तर ऐसा प्रतीत होता है कि जो संविधान में प्रादेशिक सरकारों को टैक्स लगाने की छूट दी गयी है और केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना प्रादेशिक सरकारें उन कानूनों को लागू नहीं कर सकती थीं, इस संशोधन के जरिये उसमें कुछ ढिलाई की जायगी और केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है इस संशोधन के जरिये कि जिन चीजों पर प्रादेशिक सरकारें टैक्स लगावें, उन पर केन्द्रीय सरकार भी टैक्स लगावे। श्रीमन्, मैं इसको समझता हूं कि गरीब जनता के लिये एक उलझन पैदा करने वाली बात होगी। श्रीमन् मैंने इस कार्यवाही में तीन चार व्यक्तियों के जो लोक सभा में कांग्रेसी सदस्य हैं, उनके भाषणों को देखा और जिस में सेठ अचल सिंह आगरे वाले, श्री बन्सल और श्री झुनझुनवाला जी कांग्रेसी सदस्य हैं और उन्होंने लोक सभा में इस संशोधन के सम्बन्ध में जो राय प्रकट की है मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को उसे देखना चाहिए और मेरा खयाल है कि जब माननीय सदस्य उसको देखेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि केन्द्रीय सरकार को जो यह अधिकार मिलने जा रहा है उसको वह नहीं मिलना चाहिए। हमारे जो आज के माननीय मुख्य मंत्री हैं वह भी संविधान सभा के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं और इसमें श्री झुनझुनवाला और श्री बन्सल ने स्पष्ट शंका प्रकट की है कि क्या कारण है कि जब प्रादेशिक सरकारों के अधिकतर सम्मानित सदस्य वही हैं जो उस वक्त की संविधान सभा के सदस्य थे, उनकी राय से संविधान की रचना हुई धारा २८६ (३) की जो चर्चा हुई वह उनकी राय से जोड़ा गया और उसकी रचना हुई लेकिन अब उस में परिवर्तन करने की क्या बात आ गई। प्रादेशिक सरकार के लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जो केन्द्रीय सरकार के हैं उनको आकर क्या अड़चनें दिखलाई। इसमें मेरे खयाल से इस बात का कोई जबाव नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिन्होंने कि संशोधन उपस्थित किया है वह बतायें कि इस प्रादेशिक सरकार को क्या उलझन पैदा हो गई कि उसने भी उसी रास्ते को अख्तियार करना पसन्द किया जो केन्द्रीय सरकार संशोधन के द्वारा अख्तियार करना पसन्द करती है। मैं मानता हूं कि प्रादेशिक सरकार को बहुत घाटा लगता होगा और इसको भी मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सामने जो और उलझनें हैं उनको निबटाने के लिए यह रास्ता निकाला गया है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रास्ते से आपके ऊपर जो केन्द्रीय सरकार का अंकुश या राष्ट्रपति का जो अंकुश था वह कुछ ढीला होगा या नहीं और क्या केन्द्रीय सरकार उन चीजों पर कर नहीं लगायेगी जिन पर प्रादेशिक सरकार लगाती है मुझे संदेह है कि प्रादेशिक सरकार भी उन्हीं चीजों का अनुकरण करेगी और प्रादेशिक सरकारों का केन्द्रीय सरकार भी अनुकरण करेगी।

जिन चीजों पर कर प्रादेशिक सरकार लगाती है उन्हीं चीजों पर केन्द्रीय सरकार लगाए, आप जानते हैं कि सारे सूबे में ही नहीं सारे देश में, यहां जो बिक्री कर अधिनियम बना था, जो पहले आर्डिनेन्स के रूप में लागू हुआ था, उसके सम्बन्ध में लोक सभा में भी चर्चायें हुईं और यहां के माननीय सदस्यों ने भी उस बिक्री कर के सम्बन्ध में पहले अपनी राय जाहिर कर दी है और वक्तव्य दिए हैं। इस तरह के संशोधन से प्रान्तीय सरकार के ऊपर जो राष्ट्रपति का अंकुश था वह कम हो जायगा, कमजोर हो जायगा और उसका नतीजा यह होगा कि वह जो सारे देश का जरूरी सामान है जिस पर आदमी जिन्दा रहता है वह महंगा होगा, उनकी खपत कम होने लगेगी, लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है और इसका व्यापारी वर्ग पर और गरीब वर्ग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो संशोधन उन्होंने उपस्थित किया है क्या उसके द्वारा हमारा जो रोजमर्रा का प्रयोग का सामान है उस पर केन्द्रीय सरकार कर लगायेगी या नहीं, केन्द्रीय सरकार गल्ले पर, कपड़े पर, शीरे पर, दियासलाई पर और दूसरी चीजें जो रोजमर्रा के प्रयोग की हैं जिनको गरीब से गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर उन पर टैक्स लगाने से केन्द्रीय सरकार मुक्त कर देती है तो मैं समझता हूं इस संशोधन का समर्थन करना चाहिये लेकिन श्रीमन्, जहां समर्थन करने की बात है वहां साथ २ हमारा दिल दिमाग खिंच जाता है प्रदेशीय सरकार के सेल्स टैक्स कानून की ओर। मैं समझता हूं कि जो सेल्स टैक्स का कानून वर्तमान है उसी सेल्स टैक्स के कानून से, उसी कर के हमारे प्रदेश की जनता कराह रही है। उसकी कमर टूट रही है और उसी पर केन्द्रीय सरकार को कर लगाने का अधिकार इस संशोधन के जरिये दिया जाना मैं समझता हूं खतरे से खाली नहीं होगा। श्रीमन्, मैं जानता हूं बहुत से ऐसे व्यापार हमारे प्रदेश के हैं जो दूसरे प्रदेश से सम्बन्धित हैं दूसरे प्रदेशों के व्यापार हमारे प्रदेश से सम्बन्धित हैं। उन चीजों पर टैक्स बढ़ेगा और उसके माने यह होंगे कि दूसरे प्रदेशों में आयात निर्यात की कमी होगी। उसमें भी हमारे प्रदेश की आर्थिक अवस्था का ह्रास होगा। मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि इस प्रकार का संशोधन लाने के पहले केन्द्रीय सरकार को इस सदन के विचार व्यक्त करने चाहिये और केन्द्र से निवेदन करना चाहिये कि जब कि इस प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबले में बम्बई के मुकाबले में, दिल्ली के मुकाबले में, मद्रास के मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में सेल्स टैक्स ज्यादा है वहां के लोगों की आमदनी हमारे प्रदेश की आमदनी से बहुत ज्यादा है इंगलैंड और अमेरिका की चर्चा की जाती है। माननीय परिपूर्णानन्द जी सदन में नहीं हैं अगर वह इस संशोधन पर बोलने के लिये खड़े होते तो यही दलील देते कि अमेरिका और इंगलैंड में एक चीज पर हजार तरह टैक्स लगे हुए हैं और वहां की जनता बिना किसी संकोच के देता है। उस वक्त परिपूर्णानन्द जी इंगलैंड और अमेरिका की आमदनी की अपने प्रदेश की आमदनी से तुलना नहीं करते हैं....

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। जो सदस्य सदन में मौजूद न हों उनका नाम लेना कहाँ तक उचित है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। वह उस पर बोले भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बैठ जाने की कृपा करें।

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह कह रहा था कि इस सदन की मर्यादा का हमेशा हमको ख्याल रखना चाहिये और प्वाइंट आफ आर्डर कह कर भी अगर इजाजत मांगें तो जब आप स्वीकार कर लें तभी सदस्य खड़े हों। तो अब दो आदमी इस समय खड़े हैं। माननीय रामसुन्दर जी खड़े थे और शिवनारायण जी भी खड़े हो गये। एक अजीब परिस्थिति कर देते हैं। रोज सदन का अपमान करते हैं यह लोग। मैं कोई वैधानिक प्रश्न उठा करके उनके ऊपर कोई मोशन नहीं मूव करना चाहता। आपके

[श्री राजनारायण]

द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सम्मान की बराबर हम लोग चिन्ता करें और प्रयत्नशील हों। अभी आपने देखा लालबहादुर सिंह जी ने जो चाहा बोल गये और टीकाराम जी खड़े हुए तो हल्ला शुरू कर दिया लोगों ने।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। (श्री रामसुन्दर पांडेय से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं कह रहा था कि प्रदेशीय सरकार को इस संशोधन पर विचार व्यक्त करते हुए गम्भीरता का ख्याल करना चाहिये। श्रीमन्, लोक सभा में आदरणीय टंडन जी ने इस संशोधन के सम्बन्ध में राय दी है। उस राय का उद्धरण आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय टंडन जी ने यह कहा था कि "बाज एरियाज में आज लोगों की ऐसी स्थिति है उनको शाम का खाना भी नहीं मिलता है।" ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाना, नमक पर टैक्स लगाना, चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, गेहूं आदि पर टैक्स लगाना उचित नहीं है जिन लोगों का हजार रुपये महीने का खर्च है। इस प्रकार से माननीय टंडन जी जो हमारे देश के सम्मानित नेता हैं कांग्रेस के, उनकी राय इस संशोधन के सम्बन्ध में है। मैं चाहूंगा कि माननीय काटजू साहब शायद इस संशोधन पर बोलने वाले हैं उनको और माननीय सदस्यों को यह चाहिए कि इस प्रकार बोलने के पहले लोक सभा के सदस्यों का और अपने प्रदेश के हक का, साढ़े छः करोड़ जनता जो हमारे प्रदेश में है उसका ख्याल करने के बाद ही बोलें। श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा इस बिक्री कर के सम्बन्ध में कि जब सरकार केन्द्रीय सरकार के हाथ में शक्ति सिपुर्द करने जा रही है तो जैसा अभी माननीय नवल किशोर जी ने कहा हमारी शक्ति बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि हमारी शक्ति बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। हो सकता है आज इस पार्टी के हाथ में हुकूमत है, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बने, उस पार्टी की सरकार लोक सभा को केन्द्रीय सरकार को यह हक देना न चाहे तो फिर नवलकिशोर जी कैसे कह सकते हैं कि हमारा अधिकार बढ़ रहा है। श्रीमन्, प्रदेशीय सरकार को जहां पर अपने करों के सम्बन्ध में, अपने शासन के सम्बन्ध में, हर वक्त देखने, हर वक्त विचार करने उसको घटाने-बढ़ाने का अधिकार मिला हुआ है उसको केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह इस प्रकार देना कि वह टैक्स वसूल करे और वसूल करके अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार प्रदेशीय सरकारों में विभाजित करे मैं समझता हूं कि इससे अपने प्रदेश की जनता पर दोहरा टैक्स का भार पड़ेगा और मैं चाहूंगा कि सरकार और यह सदन इस संशोधन को अस्वीकार करे।

*__श्री गेंदासिंह__---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अफसोस होता है कि हमारे इस विधान के इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन पर हमारे सदन ने दिलचस्पी नहीं ली, जैसा मैं सोचता हूं, उस प्रकार सदन ने दिलचस्पी लेना पसन्द नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---यह कैसे मालूम?

श्री गेंदासिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं तो ऐसा समझता हूं कि बहुगुणा जी अगर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी न बोलें तो मैं इससे दुखी न होऊं और मैं ऐसा न समझूं, ऐसी मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। बहुगुणा जी उन सदस्यों में से हैं जिनके ऊपर इस सदन को गर्व हो सकता है और उनकी राय से हम बहुत फायदा उठाते हैं। लेकिन इलाहाबाद के रहने वाले, शहर के और शहर में जिस आदमी का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो और जो रोज अनाज और कपड़ा खरीद करके उसे इस्तेमाल करता हो उसके मुंह से हम कुछ न सुनें तो हमको ताज्जुब तो होता ही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का संशोधन जो है वह दो तीन दृष्टियों से मैं देखता हूं इसको और सब से अधिक जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है। अगस्त सन् ५२ में बड़े पवित्र दिन पर ९ अगस्त को एक कानून पास किया पार्लियामेंट ने और उसने यह पास किया कि हमारे देश में जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तुयें होंगी उन पर कोई किसी प्रकार का कर लगाने के लिए जब तक कि राष्ट्रपति की आज्ञा न हो तब तक कोई स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई कर नहीं लगा सकती। यह इसका सूत्रपात था। जो हमारे देश का विधान बना हुआ था और विधान बनाते समय जो कांग्रेस की कुर्बानियों की जो पिछले ३०-४० वर्षों की पृष्ठभूमि थी दिमागों में लोगों के, उसका परिणाम यह था कि चूंकि आवश्यक सामग्रियों के ऊपर किसी प्रकार से कर नहीं लगाया जाना चाहिये और वे लोग थे उस विधान के बनाने वाले। उन्होंने विधान में इस बात की गुंजायश की कि ऐसी सामग्रियों पर किसी प्रकार का कर राज्य सरकारों को लगाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये और यदि कहीं आवश्यकता हुई राज्य सरकारों के लिए कर लगाने की तो फिर राष्ट्रपति की आज्ञा लिये बिना ऐसा न करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रपति की आज्ञा लेने में बहुत सी चीजें निहित हैं। आज्ञा लेने में जब राष्ट्रपति को यह बात लिखी जाती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट लिखती है कि अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये कि जिन चीजों के लिए हमने कसम खाई थी कि हम उस पर कर नहीं लगायेंगे उन पर कर लगाये बिना हमारा काम नहीं चलता, तो फिर केन्द्र की सरकार विचार करती कि इस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी मुसीबत आ गयी और इस मुसीबत को कैसे टाला जा सकता है, या इस मुसीबत को टालना अब सम्भव नहीं तो इजाजत दे ही देनी चाहिये कि ऐसी वस्तुओं पर भी कर लगा दिया जाय जो जीवनोपयोगी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी बातें निहित होंगी। इसलिये राष्ट्रपति की आज्ञा देने की बात उसमें कही गयी थी। इस पर कुछ कठिनाई कुछ राज्य सरकारों को आई, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि मद्रास और बिहार ने अनाजों पर टैक्स पहले से लगा रखा था। कुछ राज्य सरकारों ने जैसा कि एम० सी० शाह ने कहा कि वहां की राज्य सरकारों को कुछ नाराजगी है और उस नाराजगी में मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की सरकार शामिल है या नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार की ख्वाहिश यह थी कि वह अनाज पर, नमक पर टैक्स लगाये। यह स्पष्ट कराना मैं चाहूंगा कि उसे बतलाने की कृपा माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के सामने यह प्रश्न रखा था कि हमको नमक और अनाज और सारी सामग्रियां जो जीवन के उपयोग के लिए आवश्यक हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय और आज नहीं, पहली अप्रैल, सन् ५६ के पहले की, उससे भी दो तीन वर्ष पहले, यह जानने की बात है।

तो इस प्रकार उन सारी बातों को ध्यान में रख करके और सारे देश में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के टैक्स लगाने की विधि है उसको देख करके, फिर कांस्टीट्यूशन में एक तब्दीली करने की बात सोची गयी और यह तब्दीली टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो हमारा बैठा उसने भी इसके सम्बन्ध में सिफारिश की कि शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो उन चीजों पर भी टैक्स लगाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो पृष्ठभूमि दिमाग में थी उसका ध्यान स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहिये था और अगर कांस्टीट्यूशन इन बातों को देख कर कि रुपये की कमी है, यहां संशोधित होने जा रहा है तो उससे मैं इत्तफाक नहीं करता और मैं समझता हूं कि आज इस आदरणीय विधान सभा को उस बात से सहमत नहीं होना चाहिये। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक स्थान है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात से सहमत हो जाती है तो मैं समझता हूं कि सारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स और सारी विधान सभाएं उत्तर प्रदेश के साथ सहमत होने की कोशिश करेंगी। उत्तर प्रदेश के सहमत होने के माने हैं कि हिन्दुस्तान का एक बड़ा हिस्सा सहमत हो गया।

[श्री गेंदा सिंह]

इसलिये मैं सोचता हूं कि हमारी इस आदरणीय विधान सभा को सहमत नहीं होना चाहिये, इसलिए कि हम ऐसी चीजों पर कर लगाने के पक्षपाती नहीं हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि १९४२ के बाद पब्लिक में अगर कोई हलचल किसी बात को लेकर हुई तो वह पहली अप्रैल को अनाज और जीवनोपयोगी सामग्री पर टैक्स लगाने की नाराजगी पर हुई। शायद ही कोई शहर बाकी रहा हो जिसमें हड़ताल न हुई हो। गांवों में भी खबर पहुंची और लाखों करोड़ों आदमी इसका विरोध करने लगे और मैं समझता हूं कि इस विरोध से मुझे नाराज नहीं होना चाहिये और इसको देख कर सरकार को यह फैसला करना चाहिये था कि आखिर सरकार को बनाने वाली जनता इसको नापसन्द करती है। जनता ही नापसन्द नहीं करती है बल्कि जैसा कि श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने बतलाया कि कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके लिये वह नहीं कहा जा सकता कि यह समाजवादी दल के या विरोधी दल के हों बल्कि वह कांग्रेस के ही लोग हैं, वह भी इसको नापसन्द करते हैं और इसकी कुछ बुनियाद है। मैं उधर ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में किन लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो लोग भूमिहीन हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं, जिनके पास धरती नहीं है, जिनके पास अधिक पैसे नहीं हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। इसलिये हम टैक्स लगाने के पक्षपाती नहीं हैं।

हां, कुछ लोगों पर टैक्स लग सकता है। पंचवर्षीय योजना की हमें फिक्र है। चाहे हमारी इच्छा न हो लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार को मौका मिलना चाहिये कि इसको पूरा करे और अपनी इच्छा को पूरा करे कि वह देश का कल्याण कैसे करना चाहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को पैसा मिले। लेकिन कहां से मिले? जिस ढंग से सरकार पैसा लेना चाहती है, हम नापसन्द करते हैं। अनाज पर टैक्स लगा कर किन लोगों से रुपया मिलेगा? आखिर हमारे हरिजन भाई जो लाखों की तादाद में गांवों में रहते हैं, वह डेढ़ आना रुपया टैक्स देने पर मजबूर कर दिये गये हैं। कपड़े की बात है, कौन पहनता है? एसेंशियल गुड्स ऐक्ट में मोटे कपड़े पर टैक्स नहीं था, इसमें कोयला, गुड़ वगैरा बरी था। यह सारे एसेंशियल गुड्स माने गये थे। इनका उपयोग कौन करता है? जो सब से अधिक तादाद में हैं और सब से अधिक तादाद में निर्धन लोग हैं। उन्हीं के ऊपर यह सारा बोझा जाता है। इसकी चर्चा में क्या करूंगा यह तो स्टेटिस्टिक्स की बात है, स्पष्ट बात है गांव की आमदनी घटती चली जा रही है और हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हम जल्दी ही बढ़ा लेंगे और जब कि इस तरह से खुदा मियां या प्रकृति नाराज है तो ऐसी हालत में हम इन पर बोझा डालने की कभी भी सलाह नहीं दे सकते हैं और अगर सलाह दें तो मैं समझता हूं कि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे। इसलिये मैं सोचता हूं कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, समाज की जिन्दगी चलाने वाले हैं, उनके ऊपर छूट दे दी जाय कि सरकार टैक्स लगा सके, मैं इसका विरोधी हूं। बाकी उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एक प्रकार की टैक्स की नीति होनी चाहिये बिक्री कर की, और केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह काम आ जाय, ताकि स्टेट्स गवर्नमेंट्स में आपस में यह झगड़ा न रहे, इसका मैं समर्थक हूं। यह विवादास्पद बात है कि बिक्री कर को रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर देश को रुपये की जरूरत है तो बार-बार हम लोगों ने यह बात कही है और आज भी कहते हैं कि जो जीवन की आवश्यक सामग्रियां हैं, उनको छोड़कर बाकी पर अगर बिक्री कर लगता है तो उसके लिये हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर उन चीजों पर टैक्स लगाना है तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि समान रूप से टैक्स लगे। एक स्टेट में अगर टैक्स कम लगता है और दूसरी में ज्यादा लगता है तो इसमें सन्देह नहीं कि चोरी बढ़ती है, रिश्वतखोरी बढ़ती है और फिर पहरा नहीं कोई दे सकता। एक आदमी बिहार से, दिल्ली से कपड़ा लाकर मेरठ में कपड़े की बाढ़ ले आ रहा है। कौन रोक सकता

है ? दूसरा पूर्व से, बिहार से कपड़ा लाकर गोरखपुर, बनारस, गाजीपर में कपड़े की बाढ़ ले आ रहा है। कोई नहीं रोक सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है। क्योंकि इसमें तो व्यापार भी चौपट हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दो दिन का समय इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये है और शायद कोई सदस्य बोलने के लिये तैयार भी नहीं हो रहे हैं। तो अब १५ मिनट वाला कायदा आप न लगायें तो अच्छा है। जब मैं दोहराने लगूं तो आप टोक दीजियेगा, मैं बैठ जाऊंगा।

तो मैं समझता हूं कि इसमें एकरूपता हो जाय और केन्द्र के हाथ में अगर यह अधिकार चला जाय तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैंने आपसे निवेदन किया कि किन कारणों से हम चाहते हैं कि न हो। हमको इस बात की जानकारी है कि हमारे किनारे के जितने भी शहर और जिले हैं उनका व्यापार चौपट हो रहा है। जिन लोगों से हम आशा किये बैठे हैं कि साल में उनका टर्न ओवर देख कर बिक्री कर ले लेंगे उनका व्यापार चौपट हो रहा है और इसलिये हो रहा है कि आज दिल्ली और बिहार में कपड़े पर हमारे यहां से कम टैक्स है। तो जो खुद कन्ज्यूम करता है वह बाहर जाकर ले आ सकता है और नहीं तो फिर चोरी से कपड़ा आता है। हम तो बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं। हमने देखा है कि किस तरह से वहां कपड़ा स्मगल किया जाता है और स्मगल करके अगर एक धोती में १२ आने की बचत होती है तो १२ आने की बचत के लिये वह यह जरूर सोचता है कि हमको बाहर से ले आना चाहिये। इसलिये मैं सोचता हूं कि वह मुनासिब बात है और उसे किया जाय तो बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे लिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े धर्म संकट की बात है और वह धर्मसंकट यह है कि अध्यक्ष महोदय ने एक रूलिंग दे दी कि इसमें आप या तो 'हां' कह सकते हैं या 'नहीं' कह सकते हैं लेकिन किसी शर्त के साथ इस प्रस्ताव को पास नहीं कर सकते हैं। अब हम इस धर्म संकट में हैं। हम अपना धर्म समझे हुये हैं कि किसी भी हालत में अनाज पर, मोटे कपड़ पर और ऐसी जीवन की आवश्यक सामग्रियों पर जिनके बिना किसी का काम नहीं चल सकता उन पर टैक्स न लगे। तो इस धर्म का निर्वाह करना हमारा फर्ज हो जाता है। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि इस विधान के संशोधन के दो हिस्से हैं। उसमें से एक हिस्से से हम बिल्कुल सहमत हैं और दूसरे से बिल्कुल असहमत हैं। और इन बातों को कहते हुये मैं मुख्य मंत्री जी से और सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार पार्लियामेंट और केन्द्र को भी इस विधान सभा की तरफ से अगर मत व्यक्त किया जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, जो यह अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन का सदन के सामने रखा जा रहा है यह बहुत ही जरूरी अमेंडमेंट है। जो लोग कि टैक्सेशन की हिस्ट्री से वाकिफ होंगे वे यह जानते होंगे कि क्या-क्या दिक्कतें बाज वक्त इसके मुताल्लिक पैदा हुईं। वे इसी राय और नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस कांस्टीट्यूशन का जिस तरह से अमेंडमेंट किया जा रहा है वह जरूरी था और जरूरी है और आइन्दा कम्प्लीकेशन्स को कम करने के लिये और यूनीफार्मिटी पैदा करने के लिये इन्टर स्टेट टैक्सेशन में यह एक जरूरी चीज है। मैं समझता नहीं हूं कि इस वक्त यह बहस कहां लायी जा रही है कि कपड़े पर टैक्स ज्यादा है या सेल्स टैक्स क्या होना चाहिये। यह इस वक्त बहस नहीं है। सवाल तो यह है कि जिसको अख्तियार हासिल होना चाहिये, यह यूनियन की लिस्ट में होना चाहिये या स्टेट की लिस्ट में, महज सवाल इतना था और इससे ज्यादा सवाल नहीं है। डिटेल्स में जाने का कोई मौका नहीं है और कोई वजह नहीं है कि हम इस वक्त डिटेल्स में जायें और इस पर गौर करें कि किसी खास कमोडिटी

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

पर जो टैक्स लगाया जा रहा है वह जायज़ है या नहीं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि उस हद तक इस डिबेट के दायरे को महदूद करना चाहिये कि जिस हद तक इस बिल का स्कोप है।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यह यूनियन लिस्ट में आना चाहिये या नहीं। इसके अलावा और जो बात यहां पर आयी अपोजिशन की तरफ से आई। वह डिमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है जिस पर मेरे लायक दोस्तों ने जोर दिया और वह यह है कि अब तक जो सब क्लाज सी है उसमें अख्तियार प्रेसीडेंट को दिया गया है कि जब तक उसकी असेंट न हो उस वक्त तक इस किस्म का टैक्स अगर कोई स्टेट प्रोपोज करता है तो वह टैक्स लागू नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो मौजूदा दफा है वह इस किस्म की है और आपकी इत्तिला के लिये मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं :—

"No law made by the Legislature of a State imposing or authorizing the imposition of a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by Parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent."

तो जाहिर है कि प्रेसीडेंट का असेंट देना जब जरूरी हो जाता है तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रेसीडेंट यूनियन कैबिनेट को कंसल्ट करेगा और उसको कंसल्ट करने के बाद वह अपनी राय देगा। यह गालिबन एक प्रोसीज्योर है जो बराबर चलता रहा है और हर कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट और डिमोक्रेटिक टाइप आफ गवर्नमेंट जहां-जहां भी है हमेशा यही हुआ है और यही होता है। अब उसका जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वह इस तरह किया जा रहा है कि वह अख्तियार जिस तरह से इस्तेमाल होता है इससे इस तरह पर तब्दीली लायी जा रही है कि अब पार्लियामेंट उसे डिसाइड करेगी जैसा कि जनाब देखेंगे कि आइन्दा जो इसकी जगह लाया जा रहा है वह क्या है। मैं फिर आपकी इजाजत से जो उसका मौजूदा फार्म होगा उसको पढ़ना चाहता हूं :—

"Any law of a State shall, in so far as it imposes or authorizes the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify."

तो मैं यह अर्ज करूंगा कि एक तरीके से इस चीज को ज्यादा डिमोक्रेटिक बनाया जा रहा है। जब कोई मेजर पार्लियामेंट के सामने आता है तो उस वक्त तो हर शख्स को और अपोजीशन को खुसूसियत से उसकी अच्छाई और बुराई दिखाने का और पूरा बहस मुबाहिसा करने का मौका होता है। अब तक तो जो आपके बिल होते थे वह प्रेसीडेंट की असेंट के लिये यूनियन गवर्नमेंट की रेकमेंडेशन के साथ चले जाते थे आपको और हमको, किसी को इसका मौका नहीं दिया जाता था कि वह उसके ऊपर बहस मुबाहिसा कर सके, लेकिन आज जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें तो पार्लियामेंट ही अल्टीमेट सुप्रीम बाडी है कि जो अपना फैसला देगी। तो मैं अपने लायक दोस्तों से जो डेमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं यह उम्मीद करता हूं कि वह इसको पसन्द करेंगे कि एक मेजर पार्लियामेंट के सामने आये और उस पर पूरा बहस मुबाहिसा हो और उस पर हर शख्स को अपनी राय जाहिर करने का मौका हो तब वह लागू किया जाय। तो जहां तक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का ताल्लुक

है मैं फिर अपने लायक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वह इस पर गौर करें कि जिस फार्म में यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है वह ज्यादा डेमोक्रेटिक है। मेरे ख्याल से अगर हमारे लायक दोस्त इस पर गौर करते तो वह इसको अपोज नहीं करेंगे, बल्कि वेल्कम करेंगे कि जो पावर अब तक वेस्ट करती थी यूनियन गवर्नमेंट में, गो कि प्रेसीडेंट के नाम से असेंट होती थी, वह अब पार्लियामेंट को जा रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर वह इस नुक्ते नजर से गौर करेंगे तो वह इसको वेल्कम करेंगे। उन्होंने जो अपना नजरिया कायम किया है वह मैं समझता हूं कि इस पहलू को देख कर कायम नहीं किया वरना वह इसको अपोज नहीं करते।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि इस हाउस के मेम्बर इस प्रस्ताव को, जो चीफ मिनिस्टर साहब के जरिये से इस हाउस के सामने जेरे गौर है, शायद यह समझ रहे हैं कि कोई नया टैक्स यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाने वाला है और वह इस मामले को इस नुक्ते निगाह से सोच करके इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि और टैक्स न लगाया जाय। टैक्स लगाना कोई अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। मुझे यह देख कर बड़ा विस्मय हुआ मैं समझ नहीं सका कि किस नुक्ते निगाह से हम में से कुछ दोस्तों ने अपने नुक्ते निगाह को रखा। अगर वह साहबान थोड़ा इस प्रस्ताव के ऊपर गौर करने की कोशिश करते तो जो मुझसे पहले स्पीकर, ख्वाजा साहब ने बात हाउस के सामने रखी, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट उन्हें करना चाहिये था। यह जो संविधान में तरमीम का सवाल है, जो पार्लियामेंट ने किया है और जो हमारे सामने सिर्फ इसलिये आया है कि हम उस पर अपनी राय का इजहार करें कि आया हम उसे पसन्द करते हैं या नहीं, वह तो बजात खुद एक ऐसी तरमीम है कि जिससे टैक्सेशन कम हो जाना चाहिये जो आज लगे हुए हैं, अगर उस पर सही तौर पर अमल दरामद किया गया। यह एक जाहिर बात है और इसकी तवारीख है। क्या जरूरत पेश आई पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन लाने की, यह जो किताब हम सबको मिली है उसमें यह संशोधन दिया हुआ है और मैं उसे पढ़ कर हाउस का वक्त खराब करना नहीं चाहता। चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संविधान की कुछ धाराओं के मुताल्लिक कुछ शकूक थे और शकूक ही नहीं थे, बल्कि जिस तरह से हम लोग उनका इंटरप्रेटेशन करते थे, कोर्ट ने उनका इंटरप्रेटेशन हम लोगों के ख्याल के खिलाफ बना दिया तो उसका नतीजा यह हुआ कि जो मुख्तलिफ आर्टिकिल्स थे उन पर जो टैक्सेशन लगा हुआ था एक स्टेट में या एक के अलावा दूसरे स्टेट में उनमें डिस्पैरिटी पैदा हो गई और ख्यालात में कंफ्लिक्ट हो गया। मेरे ख्याल से जब इस तरह का सवाल पैदा हो गया तो भारत सरकार के लिये यह जरूरी हो गया कि इसको साफ कर दिया जाय। इसलिये इसकी जरूरत पेश आयी। इससे यह होगा कि न सिर्फ उनके टैक्सेशन के सम्बन्ध में मुख्तलिफ स्टेट्स में डिस्पैरिटी कायम न रहे, बल्कि उसका एक यह भी फायदा होगा कि कुछ खास चीजों पर जिनको पार्लियामेंट यह चाहती है कि इनके ऊपर टैक्स न लगे तो किसी स्टेट को उस पर टैक्स लगाने का मौका नहीं होगा। यह छोटी बात है जिसका नतीजा हमारे मुल्क पर बहुत बड़ा होता था। उसको दुरुस्त करने के वास्ते विधान में यह तरमीम लायी गयी है अब इसको अगर आप देखें तो इससे यह पता लगेगा कि मुख्तलिफ स्टेट में कुछ सामानों पर जो मुख्तलिफ टैक्स लगा हुआ था और जो वहां की जनता को बरदाश्त करना पड़ता था उसका संकेत उन चीजों से है कि जो चीजें ऐसी हैं जो एक स्टेट में बनती हैं, दूसरे स्टेट में कंज्यूम होती हैं। एक स्टेट में जो रा मैटीरियल होता है और दूसरी स्टेट में फिनिश किया जाता है तो जाहिर है कि दोनों स्टेट में इस किस्म के सामान पर टैक्स लगाया जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खूबसिंह]

काफी डिस्पैरिटी उसमें हो जाती थी। कभी-कभी कन्ज्यूमर को बहुत पे करना पड़ता था। अगर इस संशोधन को हमने मंजूर कर लिया जिसको कि पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया है तो वह दिक्कत दूर हो जायगी। इस नुक्ते निगाह से जब हम चीफ मिनिस्टर द्वारा रखे गये प्रस्ताव को देखते हैं तो वह सही मालूम होता है। मैं हाउस का ज्यादा वक्त खराब करना नहीं चाहता हूं मेरे लायक दोस्त ख्वाजा साहब ने जो कहा है उससे मैं इत्तफाक करता हूं। इन अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव को सपोर्ट करता हूं।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि इस संकल्प के एक बहुत बड़े हिस्से से प्रायः सदन के माननीय सदस्य सहमत हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा है जिसके सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। वह हिस्सा यह है कि अभी तक सेक्शन २८६ के अधीन जो असेंशियल गुड्स ऐक्ट बना हुआ था वह अब नहीं रहेगा और उस कानून के अनुसार राज्य सरकार पर असेंशियल गुड्स पर टैक्स लगाने का जो प्रतिबन्ध था कि प्रेसीडेंट की अनुमति लेकर वह इस किस्म के कदम उठा सकती है वह प्रतिबन्ध हट जायगा। और कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय दी कि ऐसा नहीं होना चाहिये वह प्रतिबन्ध रहना चाहिए; जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा गया मैंने उसको ध्यान से सुना और यह भी कह सकता हूं कि सुनकर मुझको दुःख हुआ और आश्चर्य हुआ। माननीय गेंदासिंह जी ने यह कहा कि इस टैक्स से गरीबों पर टैक्स बढ़ेगा, गांव के रहने वालों पर टैक्स लगेगा, इस टैक्स से यह खराबी होगी और हम नहीं चाहते हैं कि गल्ले पर टैक्स लगे इत्यादि इत्यादि। जब वह इस टैक्स का जिक्र कर रहे थे तो यह स्पष्ट है कि उनके ध्यान में अभी हाल में सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो कुछ हमारे राज्य में हुआ है वह चीज थी। मैं शुरू में कह चुका हूं इस संकल्प को पेश करते हुए, वह सवाल यहां पर नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य को अधिकार है कि वह इस संकल्प के सम्बन्ध में जैसा चाहें उस पर अपने कटाक्ष करते जायं, लेकिन मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देता हूं, उसका समय नहीं है, गेंदासिंह जी गल्ले पर टैक्स लगाने के विरोधी हैं शौक से विरोधी हों। इस संकल्प में न कहीं उसके विरोध का और न कहीं समर्थन का सवाल आता है। सच बात तो यह है कि प्रतिबन्ध था और ऐसा समझा जाता है कि वह इतना जबरदस्त प्रतिबन्ध था कि उसके जरिये से काम नहीं हो सकता था। प्रेसीडेंट की स्वीकृति बहुत जरूरी चीज है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रेसीडेंट की स्वीकृति मिल जाने के बाद जो चीज होती है उसे क्या माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं। अभी हमने सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो बात सदन के सामने पेश की उस पर तो प्रेसीडेंट की अनुमति मिल गई थी। प्रेसीडेंट के मानी हैं केन्द्रीय सरकार। तो केन्द्रीय गवर्नमेंट का समर्थन मिलने का भी तो कोई मूल्य है। फिर बार-बार क्यों इस बात को कहा जाय कि प्रेसीडेंट की अनुमति बड़ी चीज है, वह बड़ा अच्छा प्रतिबन्ध है, उसे रहना चाहिये। अगर प्रेसीडेंट के मानी यह हैं कि वह अपने मंत्रिमंडल से राय लेते हैं तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से भी राय ले ली होगी। तो फिर शिकायत क्यों? और उस चीज को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? जिस चीज का आक्षेप करने वालों की निगाह में कोई मूल्य नहीं है तो तिल का पहाड़ क्यों बनाया जाय? अपने शब्दों को कुछ तोलना चाहिये। मैं क्या कहूं। बार-बार यह कहा जाता है कि राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिये, माननीय सदस्य क्यों भूल जाते हैं कि राज्य सरकार का अर्थ क्या है? उनके कहने का मतलब यह है कि राज्य की विधान सभाओं को यह अधिकार नहीं होना चाहिये। दुनिया में डेमोक्रेसी के इतिहास में यही देखा गया है कि कोई गवर्नमेंट अल्पमत वालों को अच्छी लगी, कोई नहीं लगी। सबसे बड़ा इतिहास डेमोक्रेसी का इंगलैण्ड का है, उसकी थोड़ी बहुत नक़ल कुछ देशों ने की है। वहां पर भी, चाहे किसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मत या पार्टी के लोग उसमें रहे हों, उन्होंने सदैव इस बात की कोशिश की है कि पार्लियामेंट के अधिकार को बढ़ाना ही चाहिये। यह कहना कि इस सदन को अधिकार न रहे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "Cutting off the nose to spite off the face" दूसरों के लिये अपनी नाक काट लेना है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। पार्लियामेंट में बड़े अच्छे-अच्छे लोग होंगे और बड़ी-बड़ी सुन्दर बातें कहते होंगे, लेकिन क्या इस सदन के माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि वे जनता के मेम्बर नहीं हैं, जनता से उनका सम्पर्क नहीं है, जनता की क्या इच्छायें हैं क्या उन्हें वे नहीं जानते हैं? यदि वे जानते हैं तो फिर मानना चाहिये कि उनको भी उन बातों को कहने का अधिकार है और वे गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। अगर पार्लियामेंट के सदस्य अपनी गवर्नमेंट पर दबाव डाल सकते हैं तो यहां के सदस्य भी यहां दबाव डाल सकते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य तो दूर हो सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो यहां बैठे हैं। यहां के लोगों का सम्पर्क जनता से ज्यादा है और वे जनता की इच्छाओं को ज्यादा जान सकते हैं। गवर्नमेंट तो इलेक्शन के बाद या बीच में भी बदल सकती है चाहे पार्लियामेंट की बात हो या यहां की बात हो। लेकिन बार-बार यह कहना कि राज्य सरकार का अधिकार न हो, इसके मानी हैं कि हमें अपने पर विश्वास नहीं है। जिन लोगों का जनता से इतना सम्पर्क नहीं है जितना कि हमारा है वे जनहित की बात सोच सकते हैं और हम जो बराबर जनता के पास रहते हैं हम उनकी नहीं सोच सकते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। जिन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया वे स्वयं सोचें कि उन्होंने क्या कहा। हो सकता है कि इस वक्त की गवर्नमेंट का कोई काम आपको पसन्द न हो, लेकिन आज यह गवर्नमेंट है कल को दूसरी आ सकती है, आज यह विधान सभा है कल को दूसरी आ सकती है, वह गवर्नमेंट को भी बदल सकती है, लेकिन इस प्रकार से आप विधान सभा के हाथ क्यों कटा देना चाहते हैं। जो अधिकार एक बार चला जाता है वह अधिकार आसानी से फिर हाथ नहीं आता। मेरा निवेदन यह है कि जब आप इस बात को प्रेस करें तो यह देखें कि मौजूदा गवर्नमेंट के १०-५ आदमी हैं जो आज के दिन हैं कल नहीं हो सकते, लेकिन इस प्रदेश की जनता के जो प्रतिनिधि हैं आप उन पर अविश्वास क्यों करते हैं? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात नहीं रह गयी।

माननीय नारायण दत्त तिवारी ने एक बात और कही और यदि मैं भूलता नहीं हूं तो माननीय गेंदासिंह जी ने उसका समर्थन किया। कहा यह गया कि हमारे पूज्य लोगों ने बहुत सोच समझ कर यह कानून बनाया होगा। जरूर पूज्य लोग थे वे जिन्होंने संविधान को बनाया था, लेकिन कभी-कभी समय बड़ी तेजी के साथ बदलता है और कभी-कभी सदियों की तेजी उसमें आ जाती है। और जब समय बदलता है तो हमें यह देखना होता है कि शब्दों की व्याख्या अब कैसे होगी। जिन लोगों ने संविधान बनाया होगा वे अगर आज यहां होते तो किस तरह से काम करते, यह भी आपको सोचना होगा। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने संविधान बनाया था उनमें से कई माननीय लोग मौजूद भी हैं। कांस्टीट्यूशन बनाने वाले लोगों में से कुछ मुख्य लोग भी मौजूद हैं। हमारे प्रधान मंत्री हैं, कांस्टीटुयेंट असेम्बली के अध्यक्ष जो हमारे राष्ट्रपति हैं वे भी हैं तो उन्होंने जिस कागज पर दस्तखत किये हैं यह मानना चाहिये कि वह उनकी इच्छा के प्रतिकूल नहीं होगा, ऐसा विचार करना ही उनका आदर और इसके विरुद्ध विचार करना उनका अनादर करना ही है और कोई खास बात नहीं कही गयी जिसका जवाब दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह सदन जिस संकल्प को मैंने पेश किया है, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन भारत के संविधान की सातवीं सूची, अनुच्छेद २६९ तथा अनुच्छेद २८६ के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है, जिन्हें संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छठा संशोधन) विधेयक, १९५६ द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६९,

विपक्ष में—१३ ।)

भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, साढ़े ४ के करीब हो गये हैं। अगर आप उचित समझें तो आज सदन की बैठक स्थगित कर दें और कल सबेरे यह मन्दिर प्रवेश वाला बिल आप पहले ले लें। उसके बाद श्रम-कल्याण निधि विधेयक लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ सदस्य—कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—न हो तो आज ही ले लिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं उसके लिये आज तैयार होकर नहीं आया हूं। श्रीमन्, मैंने उनसे इजाजत ले ली है, इस मन्दिर प्रवेश बिल को मैं ही पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३१ जुलाई, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३ पर)

No. 435-G/XI-A—100 (14)-55

FROM

SRI B. K. MISRA, I.A.S.,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

To

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, February 27, 1956.

Subject: **Issue of birth and death certificates by Municipal Boards**

SIR,

MUNICIPAL (A) DEPTT.

I am directed to say that it has been brought to the notice of Government that a certain municipal board refused to issue a death certificate to a person, who was not a resident of the municipality and had, therefore, applied for the certificate by post, sending the required amount for general stamps, fee, etc. through money order to the Board. The stand taken by the Board was that the person concerned should have personally furnished the necessary stamps, etc. to the Board instead of sending the money by money order for affixing stamps, etc. on his application.

2. After careful consideration of the matter, Government consider that in such cases it would not be reasonable to insist that a person sitting at a far off place should come to the Board personally merely to provide the required stamps, etc. on the application for obtaining the certificate in question, as it would obviously involve unnecessary waste of time and money of the applicant. In order to avoid such hardship to public, it is considered that in the case of applicants residing outside municipal limits, a municipal board should accept the amount required for stamps, etc. sent through money order, and issue necessary birth or death certificate to the applicant concerned.

3. I am to request that all municipal boards in your district may be advised to act in the matter accordingly.

Yours faithfully,

B. K. MISRA,
Deputy Secretary,

No. 435-G (i)/XI-A—1003 (14)-55

COPY forwarded for information and necessary action to all Presidens/Administrators of Municipal Boards in Uttar Pradesh.

No. 435-G (ii)/XI-A—1003 (14)-55

Copy also forwarded for information to—

1. All Commissioners of Divisions in Uttar Pradesh (including Deputy Commissioner incharge, Kumaun Division and Collector incharge, Jhansi Division).
2. The Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh, Allahabad.
3. The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, Lucknow, with refernce to his letter No. E/1127-St., dated January 27, 1956.

By order,

B. K. MISRA,

Deputy Secretary to Government,

Uttar Pradesh.

मुख्य पेटेंट विधि

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

नैनीताल नगरपालिका

जलकल विद्युत विभाग श्रमिक संघ

कठिनाइयां

१—गरम वर्दी, छतरी या बरसाती, टार्च, ओवर आल व कम्बल—कुछ वर्ष पूर्व बोर्ड के कर्मचारियों को केवल क्लर्कों को छोड़कर गरम वर्दी दी जाती थी इन कर्मचारियों को यहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये पुनः दी जाय। बाहर काम करने वाले विशेषतया जल कल विद्युत विभाग के कर्मचारियों को छतरी या बरसाती दी जाय, क्योंकि यहां वर्षा प्रदेश के किसी भी भाग से ज्यादा होती है। पावर हाउस व पम्प हाउस में कार्य करने वालों को टार्च दी जाय, इसी प्रकार ओवर आल भी उन्हें दिये जायं कम्बल पूर्व की भांति दिये जायं।

२—बोर्ड के कर्मचारियों को रहने योग्य मकान दिये जायं इस समय जो क्वार्टर हैं वे मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हैं। बोर्ड की ओर से क्वार्टर बनवाये जायं वे प्रत्येक कर्मचारी को दिये जायं।

३—जलकल विद्युत विभाग में २१ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इन विभागों में कार्य करते हुये कई वर्ष हो चुके हैं। उनको सालाना तरक्की भी दी जाती है। वर्ष में एक माह की सवैतनिक छुट्टी भी दी जाती है, परन्तु उनका प्रावीडेंट फन्ड नहीं काटा जाता है अतः उन कर्मचारियों का भी प्रावीडेंट फण्ड काटा जाय और उनको इत्तफाकिया छुट्टी भी दी जाय।

४—वेतन आयोग की रिपोर्ट के साथ कुछ लोगों को उनका उचित दर्जा नहीं दिया गया, उनके मामले बोर्ड द्वारा सरकार को भेजे गये, परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। उन व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित है—

सरकार को भेजे गये मामले	बोर्ड द्वारा सिफारिश
(१) श्री मोहन सिंह ..	विद्युत विभाग लायन मैन
(२) श्री हरीदत्त ..	विद्युत विभाग लायन मैन
(३) श्री मुकन्द सिंह ..	विद्युत विभाग लायन मैन
(४) श्री गुमान सिंह ..	जल कल विभाग, हेड फिटर
(५) श्री भोलादत्त तेवाड़ी ..	स्टोरमैन स्टोर मुहर्रिर, अगस्त, ५५

जिनके मामले बोर्ड में हैं

(१) श्री धनसिंह ..	विद्युत् विभाग इलेक्ट्रीक

(५) म्यूनिसिपल बोर्ड ने जंगल विभाग में आज तक रेंजर फोरेस्ट गार्डों से बनाये जाते थे, परन्तु अब बोर्ड बाहर के व्यक्तियों को रेंजर बनाने लगी है। अतः इसी विभाग के लोगों को योग्यतानुसार रेंजर बनाया जाय। बाहर से लोगों को लाकर विभाग के लोगों का रास्ता न रोका जाय।

६—जलकल व विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लगातार कई घंटे तक भारी वर्षा या बर्फ में काम करना पड़ता है ऐसे खतरे के अवसरों पर काम के लिये उनको विशेष एलाउन्स दिया जाय।

७—सरकार की नई नीति से २ रुपया माहवार १०० रु० मासिक से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बढ़ाये गये हैं और महंगाई भत्ते का आधा उनके वेतन में जोड़ दिया गया है इस नीति को स्थानीय संस्थाओं म्यूनिसिपल बोर्ड व जिला बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाय।

८—अभी तक स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स तथा विन्टर एलाउन्स दिया जाता था इस बीच यह भी बन्द कर दिया गया है, अतः उसको पुनः दिया जाय।

९—स्वर्गीय बी० बी० सिंह ने अपने एक निर्णय में कहा था कि नैनीताल म्यूनिसिपल बोर्ड के टौल विभाग में दो प्रकार के मुहर्रिर बनाये जायं। मुहर्रिर और नायब मुहर्रिर। परन्तु बोर्ड ने कुछ को चपरासी की तौर पर रक्खा है। उनको मुहर्रिर या नायब मुहर्रिर का काम करते हुए भी न तो वह पद मिलता है न वह वेतन ही। अतः उसी निर्णय के हिसाब से टोल विभाग में ग्रेड रक्खे जायं यदि चपरासी ही उनको माना जाता है तो उनके पूर्व जिस अनुपात से उनको वेतन मिलता था उसी अनुपात से वेतन दिया जाय। साथ ही चपरासी को ही तरक्की देकर मुहर्रिर बनाया जाय। क्योंकि मुहर्रिर की छुट्टी के समय में वे ही मुहर्रिर का काम करते हैं।

१०—इनटेक और स्टेशन में स्विच बोर्ड एटेन्डेन्टों को २४ घंटे लगातार कार्य पर रहना होता है। उनको काम के घंटे कम कर राहत दी जाय। यही बात पावर पाइप लाइन तथा स्कूलों वाले चौकीदार लोगों के सम्बन्ध में भी लागू होती है।

११—कार्यालय में दफ्तरी का कार्य करने वाले को सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले दफ्तरियों से बहुत अधिक काम करना होता है उनको कुछ और एलाउन्स दिया जाय या अधिक समय काम करने पर उनको ओवर टायम दिया जाय, क्योंकि उनको छपाई वगैरह का भी काम करना होता है।

भवदीय

ह: बालकृष्ण सनवाल,

अध्यक्ष,

नैनीताल नगरपालिका,

जलकल विद्युत श्रमिक संघ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३५ एल० ए०—१९५६—७९६।